भारत का विधि आयोग

भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट अपराधों के रुप में तेजाब से आक्रमणों को और अपराध के पीड़ितों के लिए प्रतिकर संबंधी किसी विधि को सम्मिलित किए जाने

पर

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को लक्ष्मी द्वारा फाइल की गई 2006 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 129 में लंबित कार्रवाइयों में उसके द्वारा विचारण किए जाने के लिए प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ।

रिपोर्ट सं. 226

जुलाई, 2009

भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट अपराधों के रुप में तेजाब से आक्रमणों को और अपराध के पीड़ितों के लिए प्रतिकर के संबंधी किसी विधि को सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्ताव

विषय-वस्तु

पृष्ठ सं.

I :	प्रस्तावना	3-7
II :	एक संक्षिप्त सर्वेक्षण	8-18
III :	भारत में तेजाब के आक्रमण से संबंधित मामले	19-26
IV :	दूसरे देशों में विधि अन्य देशों में तेजाब संबंधी हिंसा : एक स्थितिपरक विश्लेषण	27-47
V :	पीड़ित के लिए प्रतिकर	48-52
VI :	निष्कर्ष और सिफारिशें	53-56

अध्याय - I

प्रस्तावना

तेजाब से विभत्स आक्रमण की शिकार लक्ष्मी ने मई, 2006 में भारत के उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की थी जिसमें भारत के विधि आयोग को प्रत्यर्थी सं. 2 के रूप में सम्मिलित किया गया है । यद्यपि विधि आयोग ने न्यायालय को बताया था कि याचिका में अनुतोषों के लिए विधि आयोग से प्रार्थना नहीं की जा सकती है, तथापि उसने तेजाब से आक्रमणों के अपराध की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए स्वप्रेरणा से इस विषय को उठाने का विनिश्चय किया है ।

भारत में तेजाब से आक्रमण की घटनाएं बढ़ रही हैं । लक्ष्मी का मामला उसका उदाहरण है जो ऐसे मामलों में सामान्यतः होता है । याचिका कहती है कि लक्ष्मी, एक जवान लड़की, अपराधी से विवाह करने से उसके इनकार करने के परिणामस्वरूप तेजाब से आक्रमण का शिकार बनाया गया था । आक्रमण के परिणामस्वरूप पीड़ित लड़की की बाहें, चेहरे और शरीर के अन्य भाग गंभीर रूप से कुरुपित और बेरुपित हो गए थे । यद्यपि लड़की और उसके माता-पिता गरीब थे/हैं किंतु सौभाग्य से उनकी एक उपकार करने वाले व्यक्ति ने सहायता कर दी, जिसने लगभग 2.5 लाख रुपए के चिकित्सा संबंधी व्ययों का वहन किया । तथापि चार पलास्टिक शल्य क्रियाओं के पश्चात् भी पीड़िता लड़की की शारीरिक आकृति भयावह है और बहुत सी अन्य शल्य क्रियाओं की उसकी इस शारीरिक आकृति को उसके सदृश्य बनाने के लिए, जो उसकी पहले थी, अपेक्षित होंगी । निःसंदेह पीड़िता लड़की वैसी कभी दिखाई नहीं पड़ सकती जैसी वह आक्रमण के पहले थी ।

यद्यपि तेजाब से आक्रमण एक अपराध है जो किसी भी पुरुष या स्त्री के विरुद्ध किया जा सकता है, किंतु भारत में इसका विनिर्दिष्ट लिंग संबंधी आयाम है । अधिकांश रिपोर्ट किए गए तेजाब से आक्रमण के मामले महिलाओं के विरुद्ध, विशेष रूप से जवान महिलाओं के विरुद्ध प्रेमी को ठुकराने के लिए, विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करने के लिए, दहेज से इनकार आदि के लिए किए गए हैं । आक्रमण करने वाला इस तथ्य को सहन नहीं कर सकता है कि उसको

अस्वीकार कर दिया गया है और वह उस स्त्री का शरीर नष्ट कर देना चाहता है, जिसने उसका सामना करने का साहस किया है ।

इस प्रकार तेजाब फेकना अत्यधिक हिंसक अपराध है जिसके द्वारा अपराध का अपराधी अपने शिकार को गंभीर शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाना चाहता है । जैसा ऊपर कहा गया है इस प्रकार की हिंसा किसी स्त्री के विरुद्ध गहरी पैठी हुई जलन या बदले की भावना से प्रेरित होती है । उदाहरण के लिए, बंगलादेश में रिपोर्ट की गई 78 प्रतिशत तेजाब की हिंसा स्त्रियों के विरुद्ध की गई है और आक्रमण के लिए अत्यधिक सामान्य कारण विवाह से इनकार, संभोग से इनकार और प्रेम प्रसंग को अस्वीकार करना है[1] । तेजाब सामान्यतः पीड़ित के चेहरे पर फेका जाता है । अपराधी पीड़ितों को कुरूपित कर देना और उन्हें राक्षस के रूप में बदल देना चाहता है । ऊपर कथित कारणों से पृथक तेजाब से आक्रमण के लिए अन्य कारणों के अंतर्गत डकैती, भूमि संबंधी विवाद आदि हैं ।

अपराध के अपराधी क्रूरता से और जानबूझकर कार्य करते हैं । तेजाब से आक्रमण पहले से योजना बनाकर किया गया हिंसा का कार्य है क्योंकि अपराध का अपराधी पहले तेजाब प्राप्त करके, उसे अपने साथ ले जाकर और तत्पश्चात् कार्य करने से पूर्व पीड़ित का लुक-छिपकर पीछा करके आक्रमण करने का कार्य करता है । आगे तेजाब से आक्रमण का पीड़ित के जीवन पर स्थायी परिणाम होता है, जो अपने शेष संपूर्ण जीवन में शाश्वत रूप से यातना, स्थायी नुकसान सहता है और अन्य समस्याओं का सामना करता है । पीड़ित सामान्यतया उपयोगितारहीन, डरा हुआ और अपमानित अनुभव करते हैं और अपने रुप-रंग के कारण सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाते हैं । वे अत्यधिक डर जाते हैं और अपने घर से बाहर जाने में तथा सादा कार्य अकेले करने में, विवाह करने में, बच्चों को रखने में, कोई कार्य प्राप्त करने में, स्कूल जाने आदि में लज्जित अनुभव करते हैं । चाहे वे सामान्य जीवन जीने के लिए इच्छुक हों तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि समाज स्वयं उन्हें आक्रमण के पश्चात् उनकी आकृति और अपंगता को देखते हुए सामान्य व्यक्ति के रूप में मानेगा । वे कार्य करने के या कोई कार्य प्राप्त करने के योग्य नहीं भी हो

[1] एसिड सरवाइवर्स फाउंडेशन, एसिड थ्रोइंग फैक्टशीट, बंगलादेश, 2001.

सकते हैं और इस प्रकार जीवित रहने के लिए शाश्वत रूप से संघर्ष करते हैं ।[2]

इन पीड़ितों के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 320, 322, 325 और 326 में घोर उपहतियों से संबंधित दंड विधि तेजाब से आक्रमण की घटनाओं के बारे में कार्रवाई करने के लिए अपर्याप्त है । धारा 320 धारे उपहति के बारे में है और यथा निम्नलिखित है :

320. घोर उपहति - उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में ''घोर'' कहलाती है -

पहला - पुंस्त्वहरण ।

दूसरा - दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद ।

तीसरा - दोनों में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थायी विच्छेद ।

चौथा - किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद ।

पांचवा - किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास ।

छठा - सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपिकरण ।

सातवां - अस्थि या दांत का भंग या विसंधान ।

आठवां - कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है ।

घोर उपहति की इस परिभाषा की आलोचना की गई है क्योंकि यह परिभाषा अपने परिक्षेत्र के भीतर जानबूझकर की गई विभिन्न प्रकार की उन उपहतियों को समाविष्ट नहीं करती है जो किसी स्त्री के शरीर के महत्वपूर्ण भागों पर की जाती है और न यह परिभाषा तेजाब से आक्रमण जैसी अपराधों को, जिनमें विभिन्न प्रकार की घोर उपहतियां होती हैं, लागू होती है ।

---

2 युगांडा में तेजाब से आक्रमण के विधिक पहलुओं के अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण के साथ आधारभूत सर्वेक्षण, जो अमरीकन प्रजातंत्र और मानव अधिकार निधि से प्राप्त निधिक सहायता के साथ तेजाब उत्तरजीवी फाउंडेशन युगांडा विधि सलाहकार राचेल फोर्सटर, नवंबर, 2004.

भारतीय दंड संहिता की धारा 322[3] स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने को परिभाषित करती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 325[4] घोर उपहति करने के लिए दंड का उपबंध करती है । यह अपराध कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय है और संज्ञेय, जमानतीय और शमनीय और साथ ही प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हे । घोर उपहति का अपराध तब तक कारित नहीं किया जाता है जब तक कि अपराधी घोर उपहति कारित नहीं करता है और घोर उपहति कारित करने के लिए आशय नहीं रखता है या उसको कारित करने की संभावना के बारे में स्वयं नहीं जानता है ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 326 जो किसी संक्षारक पदार्थ से घोर उपहति स्वेच्छया कारित करने के मामलों में लागू होती है, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय[5] है । इस प्रकार तेजाब के समान संक्षारक पदार्थों से भी घोर उपहति स्वेच्छया कारित करने के लिए दंड कारावास हो सकता है जो अत्यधिक छोटी अवधि से 10 वर्ष तक के समय के लिए हो सकता है । यह बहस की जाती है कि दंड की यह अवधि अपराध की गंभीरता समरूप नहीं है ।

याचिका में बहस की गई है कि याचिकाकर्ता के मामले के समान कुछ मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 लागू की गई है, यह भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि न्यायालयों में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के मामलों में आसानी से जमानत मंजूर करने की प्रवृत्ति होती

---

3 धारा 322 **स्वेच्छया घोर, उपहति कारित करना** - जो कोई व्यक्ति स्वेच्छया उपहति कारित करता है,यदि वह उपहति, जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना सम्भाव्य है घोर उपहति है, और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता है, घोर उपहति है, तो वह ''स्वेच्छया घोर उपहति करता है'', यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण - कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है सिवाय जबकि वह घोर उपहति करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो । किंतु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है, तो वह स्वेच्छया घोर उपहति करता है, यह कहा जाता है ।

4 धारा 325 **स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड** - उस दशा से सिवाय, जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

5 धारा 326 खतरनाक आयुधों या अन्य साधनों द्वारा स्वेच्छा गंभीर चोट पहुंचाना ।

है और अपराधिक मनःस्थिति को साबित करना अत्यधिक कठिन होता है ।

लक्ष्मी की रिट याचिका आगे कहती है कि तेजाब से आक्रमणों के पीड़ितों के लिए प्रतिकर अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत बड़ी मात्रा में चिकित्सा संबंधी खर्चे अंतर्वलित होते हैं । तेजाब से आक्रमण के पीड़ितों को दोनों ही छोटी अवधि के और साथ ही बड़ी अवधि के विषेशाकृत चिकित्सीय उपचारों और पलास्टिक शल्य क्रियाओं की आवश्यकता होती है । पीड़ितों को प्रतिकर देने के लिए भारतीय विधि में उपबंध अपर्याप्त है । अतः रिट याचिका प्रार्थना करती है कि :-

- भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता में विशेष अपराध के रूप में तेजाब से आक्रमण के बारे में कार्रवाई करने के लिए एक संशोधन किया जाए,
- भारत में तेजाब से आक्रमण के सभी पीड़ितों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्ग-दर्शक सिद्धांत बनाए जाएं और एक अधिनियम पारित किया जाए ।
- तेजाब से आक्रमणों के पीड़ितों के उचित उपचार, पश्चात्वर्ती देखभाल और पुनर्वास के लिए उपाय करने के लिए एक समिति गठित और नियुक्त की जाए ;
- यह कि सभी रूपों में तेजाब अनुसूचित प्रतिबंधित रसायन बनाया जाए जो काउंटर के ऊपर तुरंत उपलब्ध न हो ।

अतः भारतीय दंड संहिता के विभिन्न उपबंधों की यह देखने के लिए परीक्षा करना और उनका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि क्या वह विधि जो भारत में विद्यमान है तेजाब से आक्रमणों की घटनाओं के बारे में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त है । विधि आयोग ने अपनी सिफारिशें करने के पूर्व विभिन्न देशों में तेजाब से आक्रमणों से संबंधित विधियों की भी, इन आक्रमणों के अपराधियों को दंडित करने के लिए और आक्रमण से पीड़ित व्यक्ति के धन से और आर्थिक रूप से पुनर्वास के लिए, परीक्षा की है ।

अध्याय - II

एक संक्षिप्त सर्वेक्षण

एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण

जबकि भारत में तेजाब से आक्रमणों पर बहुत कम आंकड़े उपलब्ध हैं, तथापि कुछ अध्ययनों में तेजाब से आक्रमण संबंधी मामलों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति की रिपोर्ट की गई है । एक अध्ययन के अनुसार 2000 में भारत में तेजाब से आक्रमण के 174 मामलों की रिपोर्ट की गई थी । यह बंगलादेश के मामलों के लगभग 1/15 प्रति व्यक्ति घटना थी, जहां विश्व में तेजाब से आक्रमणों की सबसे अधिक घटनाओं की दर और साथ ही सबसे अधिक संख्या है । तथापि जहां मामलों की पूर्ण संख्या बंगलादेश के मामलों के बराबर पहुंच रही है ।[6]

1999 और 2004 के बीच कर्नाटक में तेजाब से आक्रमणों के 35 मामलों की रिपोर्ट की गई थी[7] । इन आंकड़ों में वे पीड़ित व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं जो अपने मामलों की रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वे और हिंसा अथवा सामाजिक रूपसे कलंकित होने से डरते हैं । इस संबंध में महिलाओं पर तेजाब से आक्रमणों के विरुद्ध प्रचार और संघर्ष (सीएसएएएडब्ल्यू) ने जुलाई, 2004 में बेंगलूर की एक ऐसी घटना को नोटिस किया जो रिपोर्ट किए गए मामलों के भाग के रूप में सम्मिलित नहीं की गई थी - भागतः क्योंकि पीड़ित और उसके परिवार ने अपने सदमे के बारे में[8] सावर्जनिक रूप से न बताने का विकल्प अपनाया था । कर्नाटक में मामलों की संख्या 2006 में बढ़कर 53 हो गई और जैसा कि सी. एस.ए.ए.ए.डब्ल्यू. ने रिपोर्ट किया कि इन 53 मामलों[9] में से केवल 9 में अधिमत दिए गए थे । एक समाचार पत्र की रिपोर्ट[10] ने केवल कर्नाटक

---

6 तेजाब से आक्रमण : एसिड अटैक : बंगलादेश एफर्टस टू स्टॉप द वायलेंस, जार्डन स्वानसन, हरवर्ड हेल्थ पॉलिसी रिव्यू आरकाइब, स्प्रिंग 2002 ; वॉल्यूम III, नम्बर I.

7 वर्नट नॉट डिफिटेड, सी.एस.ए.ए.ए.डब्ल्यू. द्वारा रिपोर्ट, अप्रैल, 2007, सी.एस.ए.ए.ए.डब्ल्यू. बेंगलूर पब्लिकेशन.

8 दि हिंदू, हिंसा का दूसरा चेहरा, 15.8.2004.

9 दि हिंदू, तेजाब से आक्रमणों को नियंत्रित करने के उपायों के लिए फाइल की गई लोकहित याचिका.

में 2007 तक तेजाब से आक्रमणों की संख्या 60 बताई थी जिसमें 8 और मामले फरवरी, 2007 तक जुड़ गए थे ।

इन मामलों में से अधिकांश में हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक तेजाब का प्रयोग किया गया था और सभी पीड़ित महिलाएं थीं । कर्नाटक में पीड़ित बहुत अल्पवयस्क युवतियां थीं जो 16 से 25 वर्ष की आयु के बीच की थीं और उन पर उनके जानकार व्यक्तियों द्वारा आक्रमण किया गया था । अधिकांश आक्रमण सार्वजनिक स्थानों में या घरों में किए गए थे ।[11]

इन मामलों में उस प्रकार की क्षतियां दर्शित की गई थीं जो तेजाब से आक्रमण के पीड़ितों ने सहन की थी । क्षतियां जलने से लेकर स्थायी विरुपता और मृत्यु तक की थीं । बहुत से तेजाब से आक्रमणों में पीड़ित की धीमी और दर्दनाक मृत्यु हुई थी । दूसरी तरफ कुछ पीड़ित जो आक्रमण से बच भी गए जैसे हसीना (अप्रैल, 1999)[12] और श्रुति (अक्तूबर, 2001 में) स्थायी रूप से कुरुपित अंगहीन और संपूर्ण जीवन के लिए घर में सीमित हो गए हैं ।[13] तेजाब से आक्रमण के उत्तरजीवी शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से सदमाग्रस्त हो जाते हैं । उनकी क्षतियों की शारीरिक सीमाएं गहरी, स्थायी होती है और उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर और सामाजिक कृत्य करने पर सीधा प्रभाव रखती है ।

हाइड्रोक्लोरिक सलफ्यूरिक और अन्य तेजाबों का मानव शरीर पर भयंकर प्रभाव होता है । ये क्षारीय पदार्थ चमड़ी के तंतुओं को पिघला देते हैं । पीड़ितों की हड्डियां अनावृत्त हो जाती हैं और कभी-कभी तेजाब हड्डियों तक का विलय कर देता है । स्थायी निशान, जो हसीना[14] के मामले में देखे जा सकते हैं मानव शरीर को संपूर्ण जीवन के लिए विद्रूपित कर देते हैं । इसके

---

10 दि हिंदू, 'तेजाब परीक्षण' : क्या सरकार भयंकर रसायनों के विक्रय को विनियमित करेगी ? बेगश्री (एस) और एम.बी. चंद्रशेखर, 5 फरवरी, 2007.

11 डक्कन हैराल्ड न्यूजसर्विस, बेंगलूर, मानवता का तेजाब परीक्षण, बाला चौहान ।

12 केरल राज्य बनाम जोसेफ रोड्रीग्यूज, माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 22.8.2006 में विनिश्चित किया गया ।

13 द हिंदू, "तेजाब परीक्षण" : क्या सरकार भयंकर रसायनों के विक्रय को विनियमित करेगा ? बेगश्री एस. और एम. बी. चंद्रशेखर 5 फरवरी, 2007.

14 ऊपर का टिप्पण 11.

अतिरिक्त, यदि तेजाब आक्रमण के दौरान, जैसाकि तेजाब से आक्रमण के मामलों में सामान्य है पीड़ित की आंखों में चला जाता है तो यह इन महत्वपूर्ण अंगों का स्थायी रूप से नुकसान कर देता है । तेजाब आक्रमण के बहुत से उत्तरजीवियों ने एक या दोनों आंखों को खो दिया है ।

विद्रूपिता और अपंगता के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति स्थायी रूप से कमजोर हो जाता है और अपना जीवन, अपना कार्य, अपनी शिक्षा छोड़ देने के लिए विवश हो जाते हैं । इस संबंध में ऐसे पीड़ितों के लिए, जो आगे अपने आपको सहारा नहीं दे सकते हैं, महत्वपूर्ण शल्य क्रियाओं को कराने के लिए प्रतिकर अनिवार्य हो जाता है ।

तथापि प्रतिकर के अतिरिक्त अन्य मुद्दे भी हैं जैसे कि विधि को संवेदनग्राही होना चाहिए जब वह तेजाब से आक्रमण के पीड़ितों के बारे में कार्रवाई करती है । हिंदू समाचार पत्र के साथ साक्षात्कार करने में सी. एस.ए.ए.ए.डब्ल्यू. के वकील शीला रामनाथन ने बताया कि तेजाब से आक्रमण के पीड़ितों को पृथक रूप से संभालना होता है क्योंकि उनकी स्थिति में "चिकित्सीय उलक्षनों, सामाजिक कलंक, मनोवैज्ञानिक सदमे, लिंग विभेद और जीविका की पूर्ण हानि" की श्रृंखला अंतर्वलित होती है ।[15] सुश्री रामनाथन ने विशिष्ट रूप से इन पीड़ितों के प्रति चिकित्सा संबंधी उपेक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित किया ; "उपचार के तरीके पर चिकित्सीय जागरूकता भी अगाध है," "ऐसे मामले हुए हैं जहां प्रभावित क्षेत्र पर गिरी का तेल लगाया गया है और पीड़ित को कंबलों में लपेटा गया है । ऐसा गलत व्यवहार अपरिमित नुकसान कर सकता है ।[16]

तेजाब से आक्रमण और उनके परिणाम

जैसा पहले कहा गया है कि तेजाब से आक्रमण महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का रूप है जहां अपराधी किसी व्यक्ति या वस्तु पर तेजाब डाल देता है जिससे कि उसे विद्रूपित किया जा सके या उसे मारा जा सके । यद्यपि तेजाब का फेंकना जिसे विक्ट्रियोल एज के रूप में भी जाना जाता है, हिंसा का एक रूप रहा है और जिसे संपूर्ण इतिहास में की जाने वाली हिंसा के रूप में

---

15 दि हिंदू, तेजाब से आक्रमणों को नियंत्रित करने के उपायों के लिए फाइल की गई लोकहित याचिका.
16 पूर्वोक्त.

जाना जाता है । हाल के वर्षों में दस्तावेजीकरण किए गए मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, विशेष रूप से कतिपय दक्षिण एशियाई देशों में । ऐसी कुछ वृद्धि का कारण मामलों के अधिक अच्छे दस्तावेजीकरण को और इस तथ्य को भी कि आक्रमण के पीड़ितें ने आक्रमण के बारे में बहुधा रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, माना गया है । तथापि ऐसे तेजाब से आक्रमणों में, जो विभिन्न कारणों से हाल के समय में किए गए हैं, पर्याप्त वृद्धि हुई प्रतीत होती है ।

तेजाब से आक्रमणों को अत्यधिक भयंकर अपराधों में से एक के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि ये पीड़ित के लिए शाश्वत नुकसान कारित कर देता है । चूंकि तेजाब त्वचा को और किसी व्यक्ति की हड्डियों तक को पिघला देता है, अतः यह पीड़ित को विलक्षण डिग्री का दर्द कारित करता है और उसे विकृत तथा विक्षत छोड़ देता है और साथ ही उसे कभी-कभी स्थायी रूप से अपंग बनाते हुए अंधा भी कर देता है । पीड़ित संपूर्ण जीवन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक परिणामों का सामना करते हैं ।

तेजाब के कुछ सुविदित प्रभाव यथा निम्नलिखित है[17] :-

- तेजाब क्षयकारी पदार्थ हैं, जो मानवीय त्वचा के उतकों का दृश्यमान क्षय (मृत्यु) कारित करते हैं और भारी मात्रा में संकेंद्रण में धातु तक को नष्ट कर देते हैं ।
- ये गंभीर विषैलापन, जलन कारित कर सकते हैं और तेज तेजाबों के गिर जाने से गंभीर क्षति हो सकती है ।
- सामान्य रूप से उपलब्ध तेजाबों के अंतर्गत सल्फ्यूरिक तेजाब - हाइड्रोक्लोरिक तेजाब, हाइड्रोफ्लोरिक तेजाब, फोसफेक तेजाब आदि हैं । तेजाबों का प्रयोगशालाओं और कारखानों/उद्योगों में प्रयोग किया जाता है ।
- तेजाब से आक्रमण में त्वचा संपर्क का मुख्य अंग होती है । त्वचा पर तेजाब के प्रभावों के अंतर्गत ललामी और जलने से घाव हो सकते हैं । गंभीर मामलों में, इससे सदमा और मृत्यु तक हो सकती है । कुछ अन्य प्रभावों के अंतर्गत स्थायी

रूप से बालों की हानि और निशान पड़ जाना है । यदि यह बड़ी मात्रा में सांस द्वारा अंदर चला जाता है तो इससे फेफड़ों संबंधी गड़बड़ियां भी हो सकती हैं ।

तेजाब से आक्रमण के परिणाम भलीभांति दस्तावेजीकृत किए गए हैं और इनके अंतर्गत निम्नलिखित है[18] :

क्षतियां और शारीरिक परिणाम

तेजाब त्वचा की दो परतों को अर्थात् चर्बी और मांसपेशियों के नीचे तक खा नष्ट कर देता है और कभी-कभी यह न केवल हड्डियों तक चला जाता है किंतु हड्डी का विलय तक कर सकता है । क्षति की महराई तेजाब की शक्ति और त्वचा के साथ उसके संपर्क की अवधि पर निर्भर करती है । जलन तब तक बनी रहती है जब तक की तेजाब को पानी से पूर्ण रूप से धो नहीं दिया जाता है ।

किसी व्यक्ति के चेहरे पर फेके जाने पर तेजाब शीघ्रता से नेत्रों, कानों, नाक और मुंह में चला जाता है । पलकें और होठ पूर्णतः जल जाते हैं । नाक नथुनों को बंद करते हुए पिघल सकती है और कानों में झुर्रियां पर जाती हैं । तेजाब पीड़ित व्यक्ति को अंधा बनाते हुए शीघ्रता से नेत्रों को नष्ट कर सकता है । खोपड़ी, माथे, गालों और ठोढ़ी की त्वचा तथा हड्डी गल सकती हैं । जब तेजाब के गर्दन, छाती, पीठ, बांहों या टांगों पर छींटे पड़ते हैं या वह गिरता है तो वह उस प्रत्येक स्थान को जिसे वह छूता है जला देता है ।

पीड़ितों के लिए सबसे बड़ा आसन्न खतरा सांस लेने में कठिनाई होने का होता है । तेजाब की गैस का सांस में चला जाना दो रूपों में सांस लेने में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है अर्थात् फेफड़ों में विषैली प्रतिक्रिया कारित करके या गर्दन सुजाकर जिससे वायु मार्ग सिकुड़ जाता है और पीड़ित का गला घुट जाता है ।

---

17 विकीपीडिया एनसाइक्लोपीडिया -

18 ये परिणाम ; लिविंग इनद शैडोज : एसिड अटैक इन कम्बोडिया, 2003 लिकाडो रिपोर्ट, में सूचीबद्ध हैं ।

जब तेजाब के आक्रमण से जलने से हुए घाव ठीक होते हैं, तो वे मोटे-मोटे दाग बना देते हैं जो त्वचा को बहुत कठोर करके खींचते हैं और विद्रूपण कारित कर सकते हैं । उदाहरण के लिए फिर पलकें बंद नहीं होती हैं, मुंह खुलता नहीं है ; और ठोढ़ी छाती से जुड़ जाती है ।

शारीरिक परिणामों पर निम्नलिखित सूचना एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दी गई है :[19]

खोपड़ी : भागतः नष्ट या विद्रूपित हो सकती है । बाल बहुधा समाप्त हो जाते हैं ।

माथा : त्वचा सिकुड़ सकती है जैसे कठोर रूप से खींची हुई हो और दागी हो सकती है ।

कान : सिकुड़ जाते हैं और विद्रूपित हो जाते हैं । बहरापन तुरंत हो सकता है या बाद में हो सकता है । कान की कड़ी लचीला हड्डी सामान्यतया भागतः या पूर्णतः नष्ट हो जाती है जिससे पीड़ित व्यक्ति को भविष्य में संक्रमण हो सकता है और सुनने में कमी हो सकती है ।

नेत्र : तेजाब का सीधा संपर्क या तेजाब की गैस नेत्रों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे अंधापन हो सकता है ।

यदि नेत्र तेजाब के आक्रमण से बच भी जाते हैं तो वे ऐसे अन्य खतरों के लिए भेद्य रहते हैं जो पीड़ित के ठीक होने के दौरान अंधापन कारित कर सकते हैं । पलकें जल सकती है या दाग पड़ने से विद्रूपित हो सकती है जिससे नेत्र सूख सकते हैं और अंधे हो सकते हैं । इसको रोकना बहुत कठिन है ।

नाक : सिकुड़ सकती है और विद्रूपित हो सकती है । नथुने पूर्ण रूप से बंद हो सकती है क्योंकि कड़ी लचीली हड्डी नष्ट हो जाती है ।

गाल : निशान पड़ जाते हैं और विद्रूपित हो जाते हैं ।

मुंह : सिकुड़ जाता है और संकीर्ण हो जाता है और अपना आकार खो सकता है । होठ भागतः या पूर्णतः रूप से नष्ट हो सकते हैं । होठ स्थायी रूप से उभर सकते हैं और जिससे दांत बाहर

आ सकते हैं । होठों, मुंह और चेहरे की क्रियाशीलता का ह्रास हो सकता है । खाना खाना कठिन हो सकता है ।

ठोढ़ी : निशान पड़ जाते हैं और विद्रूपित हो जाती है । निशान ठोढ़ी को गर्दन या छाती से जोड़ते हुए नीचे की तरफ जा सकते हैं ।

गर्दन : बहुधा बुरी तरह नुकसान हो जाती है । इसमें ठोढ़ी से छाती के ऊपरी भाग तक जाती हुई निशन पड़े हुए शरीर की मोटी रस्सी जैसी बन सकती है या नाक के एक तरफ एक चौड़ा भारी निशान पड़ा हुआ क्षेत्र हो सकता है । पीड़ित व्यक्ति गर्दन को हिलाने में असमर्थ हो सकता है या सिर लगातार एक तरफ झुक सकता है ।

छाती : बहुधा बुरी तरह निशान पड़ जाते हैं । छाती पर तेजाब छिड़कने से या गिरने से निशानों की संकीर्ण पंक्तियां बन सकती हैं या निशानों के बड़े-बड़े धब्बे हो सकते हैं । लड़कियों और युवा स्त्रियों में, उनके वक्ष का विकास रूक सकता है या उनका वक्ष पूर्णतया नष्ट हो सकता है ।

कंधे : बुरी तरह से निशान पड़ सकते हैं, विशेष रूप से बगल के चारों ओर, जो पीड़ित की बांहों की क्रियाशीलता को सीमित कर सकते हैं । कुछ मामलों में पीड़ित की एक या दोनों ऊपर की बांहें गोंद के समान उसके शरीर से चिपक सकती है ।

उपचार

पहली बात जो की जानी चाहिए वह यह है कि जब तेजाब त्वचा के संपर्क में आता है तब जले हुए शरीर को पानी से कम से कम 60 मिनट तक धोना चाहिए और तेजाब को पानी से जब तक संभव हो तब तक धोना चाहिए ।

अस्पतालों में आपात उपचार में जले हुए घावों को धोना और उन पर पट्टी करना और तेजाब के वाष्प से कारित सांस लेने संबंधी समस्याओं से मुक्ति को दूर करने में सहायता करना सम्मिलित होना चाहिए ।

---

19 मेडिसिन्स डू मोनडे एंड डॉक्टर एट कालमेटे हॉस्पिटल इन फोमपेन ।

संक्रमण बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि गहरे घावों के चारो ओर मृत उतक आसानी से संक्रमित हो जाते हैं और जले हुए घावों का ठीक होना रोकते हैं । संक्रमण त्वचा के स्वस्थ्य भाग की ओर भी फैल सकता है और पीड़ित को मार तक सकता है और यह आक्रमण के पश्चात् सप्ताहों और मासों के दौरान किसी प्रक्रम पर पीड़ित पर आक्रमण कर सकता है । इस प्रकार आंखों को साफ रखने की आवश्कता होती है और संक्रमण से लड़ने के लिए एंटिबायटिक्स (कीटाणुनाशक दवा) को दिए जाने की आवश्यकता होती है ।

नेत्र संक्रमण के लिए बहुत भेद्य होते हैं और अंधापन कारित कर सकते हैं । अत्यधिक महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित अपने नेत्र बंद कर सकते हैं जिससे उन्हें सूखने और संक्रमित होने से रोका जा सकें । शल्यचिकित्सा पलकों को पुनः बनाने के लिए,यदि वे तेजाब से नष्ट हो गई है या नेत्रों के चारो ओर मोटे-मोटे निशानों को हटाने में, जैसे-जैसे घाव ठीक होताहै, आवश्यक हो सकती है ।

पर्याप्त भोजन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि पीड़ित के शरीर को संक्रमण से लड़ने और घावों को ठीक करने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है । यह कठिन हो सकता है यदि पीड़ित के मुंह के चारो ओर जलने के घाव हो और उसे निगलने में कठिनाई होती हो या वह आवश्यक भोजन का खर्च वहन नहीं कर सकता है ।

जले हुए घावों को ठीक होने में 3 से 12 मास लग सकते है । मोटे निशान, जो दर्दनाक और खुजली वाले होते हैं और ठीक हुए घावों के ऊपर हो जाते हैं । निशान बड़े हो जाते है और एक से दो साल में परिवर्तित होते रहते हैं । जैसे-जैसे निशान मोटे होते हैं और संपर्क में आते है, वे जोड़ों को शख्त करके और गति को निर्बधित करके स्थायी अपंगता कारित कर सकते हैं । उदाहरण के लिए गर्दन और कंधों पर निशान होना रोगी के सिर या बांहों को गतिमान होने से रोक सकता है । डाक्टरों को निशानों को ठीक करने और उनके ऊपर नई त्वचा की संरचना करने के लिए बहुत सी शल्यक्रियाओं को करने की आवश्यकता हो सकती है । निशान नथुनों या कान की नलियों के ऊपर हो सकते हैं और उनको दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यता होती है ।

लंबी अवधियों का शारीरिक चिकित्सा उपचार निशानों से पीड़ित की क्रियाशीलता की कमी को कम करने के लिए आवश्यक होता है और विशेष लचीली पट्टियां निशानों की मोटाई और कठोरता को नाटकीय रूप से कम कर सकती हैं ।

उपचार का अंतिम प्रक्रम पीड़ित की आकृति को यथासंभव प्रत्यावर्तित करने की कोशिश करना है । अब तक घाव पूर्ण रूप से ठीक हो चुके होते हैं और घावों का पूर्ण विस्तार और शरीर की अपंगताएं दृश्यमान्य हो जाती है । पीड़ित को दो से तीन वर्षों की अवधि के दौरान बहुत सी संक्रियाओं की आवश्यकता होती है ।

मनोवैज्ञानिक परिणाम

आक्रमणों से पीड़ित व्यक्ति न केवल गंभीर शारीरिक सदमा सहते हैं किंतु उनमें, जैसा वे अनुभव करते हैं और सोचते हैं उसी प्रकार के सदमे से संबंधित परिवर्तन आ जाते हैं । मनोवैज्ञानिक सदमा दोनों से होता है, एक तो वह जो आतंक से पीड़ित व्यक्ति आक्रमण के दौरान सहते हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि उनकी त्वचा जलकर समाप्त हो रही है और दूसरा आक्रमण के पश्चात् उस कुरुपता या अपंगता से जिसके साथ उन्हें अपने शेष जीवनभर रहना है । पीड़ित व्यक्ति निराशा, अनिद्रा, दुःस्वप्न, दूसरे आक्रमण के बारे में भय और/या बाहर के संसार का सामना करने का भय, सिरदर्द, कमजोरी और थकान, चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें याद करने में कठिनाई जैसे मनोवैज्ञानिक लक्षणों से कष्ट भोगते हैं । वे शाश्वत रूप से निराश, लज्जित, चिंतित और एकाकी अनुभव करते हैं ।

पीड़ित व्यक्ति, यदि हमेशा के लिए नहीं तो, वर्षों तक गंभीर मनोवैज्ञानिक लक्षणों से कष्ट उठाते हैं क्योंकि उन्हें प्रतिदिन उनके शारीरिक दागों के निशान दिखाई पड़ते हैं । आशा की कमी और महत्वहीनता की भावना उन्हें कभी नहीं छोड़ती है ।

सामाजिक और आर्थिक परिणाम

पीड़ित व्यक्ति संपूर्ण जीवन समाज से विभेद का सामना करते हैं और वे एकाकी हो जाते हैं । वे शर्मिंदा होते हैं कि जनता उन्हें घूर सकती है या उन पर हंस सकती है और वे बाहरी

संसार की विरोधी प्रतिक्रियाओं से डरते हुए अपने घर से बाहर जाने में संकोच अनुभव करते हैं । ऐसे पीड़ित व्यक्ति जो विवाहित नहीं है उनके विवाहित होने की संभावना नहीं रहती और ऐसे पीड़ित व्यक्ति जो आक्रमण के कारण अधेपन के समान गंभीर रूप से अपंग हो गए हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है और वे जीवकोपार्जन नहीं कर पाते हैं । दूसरे व्यक्तियों से विभेद या अंधेपन जैसी अपंगता पीड़ित व्यक्तियों के लिए स्वयं के लिए जीविका अर्जित करना बहुत कठिन बना देती है और वे भोजन और धन के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं ।

अतः यह तर्क दिया गया है कि तेजाब से आक्रमणों को पृथक अपराध के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है और उसके लिए कठोरतर दंड विहित किए जाने की आवश्यकता है । यह आगे कहा गया है कि विधि में पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से संभालने/उनका भरण-पोषण करने के लिए मार्ग-दर्शक सिद्धांत सम्मिलित होने चाहिए । यहां यह वर्णित करना सुसंगत होगा कि 2006 में सीएसएएडब्ल्यू ने एक लोकहित मुकदमा कर्नाटक उच्च न्यायालय में फाइल किया था, जिसमें तेजाब से आक्रमण के पीड़ित व्यक्तियों के लिए न्यायालयों में शीघ्र और लिंग - संवेदी विचारणों और अधिक अच्छे चिकित्सीय उपचार और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को न्यायालय आदेश देने की मांग की गई थी । सीएसएएएडब्ल्यू ने यह भी मांग की थी कि विषैले तेजाबों के उत्पादन, वितरण और भंडारकरण को राज्य द्वारा कठोर रूप से मानीटर किया जाए।[20]

वास्तव में तेजाब चिकित्सीय और अन्य स्टोरों में काउंटर पर इतनी आसानी से उपलब्ध है कि तेजाब से आक्रमण स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा का कार्य करने के लिए तुलनात्मक रूप से सस्ता और प्रभावी रूप हो गया है । 2007 में कर्नाटक में हिंदू समाचार-पत्र द्वारा किए गए अचानक परीक्षण में अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि ''हाइड्रोक्लोरिक तेजाब खरीदना इतना आसान और सस्ता है जैसे साबुन की टिकिया खरीदना । 1 लीटर तेजाब का मूल्य 16/- रु. से 25/- रु. के बीच कहीं है और उसे नागरपेट, राजीपेट और राजा मार्केट सहित विभिन्न स्थानों पर खरीदा जा सकता है ।[21]

---

[20] दि हिंदू तेजाब से आक्रमण के पीड़ित व्यक्तियों को अभी सहायता प्राप्त करनी है 2704, 2007.

[21] पूर्वोक्त

तथापि, परिसंकटमय रसायन निर्माण, भंडारकरण और आयात नियम, 1989 (2000 में संशोधित) को छोड़कर तेजाब के विक्रयों को विनियमित करनके के लिए कोई विधि नहीं है और यह नियम केवल औद्योगिक स्थितियों को लागू होता है ।[22] इसके अतिरिक्त तेजाब के विक्रयों के लिए, जैसा विस्फोटकों के लिए है, कोई नियमित निरीक्षण और स्टाकों की जांच नहीं है ।[23]

कुछ के द्वारा यह तर्क दिया गयाहै कि तेजाब के विक्रयों को नियंत्रित या विनियमित करना असंभव कार्य है क्योंकि तेजाब का प्रयोग कार की बैटरियों आदि के सहित बहुत सी वस्तुओं के लिए किया जाता है । इस प्रकार अवरोध कठोर विधियों के रूप में यह होना चाहिए कि अपराधियों को दंडित किया जाए । तथापि बंगलादेश ने, जिसमें तेजाब से आक्रमणों की सबसे अधिक घटनाएं हैं, तेजाब के विक्रयों को नियंत्रित करने के लिए 2002 में एक विधि पारित की है । इस प्रकार तेजाब की हिंसा को दोनों ही मोर्चों पर एक साथ, अपराधी को कठोरतर दंड देकर और साथ ही तेजाब को अपराधी के हाथों में जाने से रोककर, उसके विक्रय को नियंत्रित करके संभाला जा सकता है । इसके अलावा सीएसएएए के एक सदस्य ने शायद ठीक ही कहा है, यह अचेतनीय है कि कैसे कोई उत्तरदायी प्रजातंत्र विधियां न बनाने के लिए बहाने के रूप में विनियमन में कठिनाई का उदाहरण दे सकता है ।[24]

सल्फ्यूरिक तेजाब के अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य का नियंत्रण स्वापक औषधियों और मनोचिकित्सीय पदार्थों के अवैध यातायात के विरुद्ध राष्ट्र संघ कन्वेंशन, 1988 के अधीन नियंत्रित किया जाता है जो सल्फूयरिक तेजाब को स्वापक औषधियों या मनोचिकित्सीय पदार्थ के अवैध विनिर्माण में बहुधा प्रयोग किए जाने वाले रसायन के रूप में कन्वेशन की टेबल-II के अधीन सूचीबद्ध करता है ।

अतः अगला अध्याय इस बारे में विचार-विमर्श करता है कि भारत में न्यायालयों ने कैसे तेजाब से आक्रमणों के मुद्दे के बारे में कार्रवाई की है और ऐसे मामले क्या दर्शित करते हैं ।

---

[22] पूर्वोक्त
[23] पूर्वोक्त
[24] पूर्वोक्त

अध्याय - III

भारत में तेजाब के आक्रमण से संबंधित मामले

चूंकि भारत में तेजाब के आक्रमण से संबंधित अपराधों को शासित करने वाली कोई पृथक विधि नहीं है, अतः मामलों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन, विशेष रूप से उपहति, गंभीर उपहति, क्षारक पदार्थों द्वारा गंभीर उपहति और हत्या करने का प्रयत्न और हत्या से संबंधित धाराओं के अधीन, रजिस्टर किया गया है । तथापि, जैसी कि पहले चर्चा की गई है, तेजाब से आक्रमण के पश्चात्वर्ती प्रभाव, चाहे पीड़ित व्यक्ति जीवित रहता है, सुभिन्न हैं और वे पीड़ित व्यक्ति को, जो समान्यतया स्त्री होती है, शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह उसके संपूर्ण जीवन को, दागी बना देते हैं ।

कुछ सकारात्मक मामलों में अपराधी को हत्या से आरोपित किया गया है क्योंकि आक्रमण करने वाले के आशय का इस रूप में अर्थ लगाया गया है कि उसका पीड़ित व्यक्ति को मारने का आशय था । तथापि, इन सकारात्मक मामलों में भी जुर्माने की रकम, जो उदग्रहीत की गई है बहुधा महत्वहीन रकम रही है । पीड़ित व्यक्ति को बहुधा न्यायालय द्वारा इस जुर्माने की रकम भी नहीं दी गई है ।

1998 में महाराष्ट्र के एक मामले में[25] एक स्त्री पर, जबकि वह अपने ढाई साल के बच्चे को लिए हुए थी, उसके देवर (ब्रदर-इन-ला) द्वारा उसके पति की दूसरी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए धन देने से इनकार करने के लिए फेंका गया था । उसके चेहरे के दांयी तरफ दांये हाथ और दांये स्तन पर तेजाब से जलने के घाव हो गए थे और उसकी अबोध पुत्री ने अपनी दृष्टि खो दी थी । वह स्त्री अंतिम रूप से जलने से होने वाली घावों के कारण मर गई । इस मामले में देवर को न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास से और 1000 रुपए का जुर्माने देने के लिए, दंडादिष्ट किया गया था और एक मास के लिए कठोर कारावास से भी दंडादिष्ट किया गया था । भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन उसे 2000 रुपए के जुर्माने और तीन महीने के कठोर कारावास के अतिरिक्त पांच वर्ष का

---

[25] गुलाब शाही लाल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (1998 मुंबई (सी.आर. (क्रि.))

कारावास दिया गया था । यद्यपि अपराधी को दोषी पाया गया था किंतु विद्वान् न्यायाधीश इस बात को समझने में असफल रहा कि उसे जुर्माने के रूपमें पर्याप्त रकम उद्ग्रहीत करनी चाहिए और यह जुर्माना पीड़ित व्यक्ति के बच्चे को, जिसने आक्रमण को बहुल रूप में सहा था, दिया जाना चाहिए ।

2002 के एक मामले[26] में अपराधी अपनी पत्नी के चरित्र के बारे में शंकास्पद था और उसने उसकी योनि में मरक्यूरिक क्लोराइड घुसा दिया । पीड़ित स्त्री की गुर्दा बंद हो जाने के कारण मृत्यु हो गई । अपराधी को आरापित किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया था ।[27] दूसरे मामले में 1975 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक स्त्री पर तेजाब उसके पति द्वारा उसको विवाह-विच्छेद मंजूर करने से इनकार करने के लिए डाल दिया गया था । पति विवाह वाह्य संबंधों में अंतर्वलित था । आक्रमण के कारण पीड़ित स्त्री ने अपने चेहरे और अपनी शरीर के अन्य भागों पर तेजाब से जलने के बहुत से घाव सहे जिससे उसकी मृत्यु हो गई । अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपित और दोषसिद्ध किया गया था । तथापि आजीवन कारावास अधिरोपित नहीं किया गया था, यद्यपि पीड़ित स्त्री की मृत्यु हो गई थी ।[28]

मद्रास उच्च न्यायालय के सामने एक मामले में, एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के अपने परिचितों में से किसी एक साथ अवैध संबंध होने का संदेह था । उसने गुस्से के आवेश में उस पर तेजाब फेंक दिया जिसके परिणामस्वरूप जलने से उसके गंभीर घाव हो गए और उसकी मृत्यु हो गई । पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और भारतीय दंड संहिता की धारा 313 (किसी स्त्री का उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराना) के अधीन आजीवन कारावास और 2000/- रु. के जुर्माने के साथ दोषसिद्ध ठहराया गया था । इस प्रकार जुर्माना पुनः बहुत छोटी रकम का था ।

---

[26] भारपल्ली वैंकट श्रीनगेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2002 क्रि. एल.जे. 3625).

[27] रविन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राजय (एआईआर 1975 एससी 856)

[28] बालू बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक, 26.10.2006 को विनिश्चित किया गया था ।

देवानंद बनाम **राज्य**[29] में एक व्यक्ति ने अपनी अलग रहने वाली पत्नी पर तेजाब फेंक दिया था क्योंकि उसने उसके साथ संभोग करने से इनकार कर दिया था । पत्नी स्थायी रूप से विकलांग हो गई थी और उसने एक आंख खो दी थी । अपराधी को धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया था और 7 वर्ष के लिए कारावास में रखा गया था ।[30]

कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में[31] अपराधी ने पीड़ित स्त्री पर तेजाब फेंकने का पहले असफल प्रयत्न किया था और वह दूसरे प्रयत्न में सफल हो गया । अपराध का उद्देश्य बदल लेना था क्योंकि पीड़ित ने अपराधी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था । अपराधी दो अन्य व्यक्तियों के साथ पीड़ित के घर गया और उसके घर के बाहर, जहां वह, उसकी मां, उसकी चाची और उसका छोटा पुत्र बैठे हुए थे, उस पर तेजाब की एक बोतल फेंक दी । पीड़ित, उसकी मां, उसकी चाची और उसके पुत्र को क्षति हुई । पीड़ित पदमा की गर्दन, छाती, दांयी अलना, स्तनों, टांगों, घुटनों और खोपड़ी पर तेजाब के व्यापक घावों के कारण मृत्यु हो गई । उसकी चाची के 25 प्रतिशत जलने से घाव हुए और उसकी चाची के पुत्र के 11 प्रतिशत जलने से घाव हुए । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 34 के अधीन आजीवन कारावास की सजा दी और 5000/-रु. का जुर्माना किया । अपीलार्थियों को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया था और एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई थी और प्रत्येक को 1000/-रु. का जुर्माना देने के लिए या व्यतिक्रम में दो मास का सादा कारावास भुगतने की सजा दी गई थी । दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलना था । तथापि, उच्च न्यायालय ने अपील पर अन्य दो अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्धि और दंडादेश को यह कहकर अपास्त कर दिया कि यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि उनका आशय सामान्य था और अपराध के दृश्य पर अभियुक्त के साथ उनकी उपस्थिति पर्याप्त नहीं थी ।[32]

---

[29] (1987)1 अपराध 314.

[30] वीरला सत्यनारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2002 (सप्ली.) 1 एस सी. 489 भी देखें .

[31] रमेश देव और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 16.05.2007 को विनिश्चित किया गया.

[32] श्रीमती भगवान कौर बनाम कृष्ण महाराज (एआईआर 1973 एस.सी. 1346) भी देखें .

श्रीमनथुलोचिन्ना सतइया और अन्य बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[33] में दो व्यक्तियों के बीच शत्रुता हो गई । अभियुक्त को संदेह था कि दूसरे व्यक्ति ने उसे मिथ्या रूप से किसी मामले में उलझा दिया है । उसको यह भी संदेह था कि उसकी पत्नी का पीड़ित व्यक्ति के बड़े पुत्र के साथ संबंध था । बदले के रूप में अभियुक्त ने पीड़िता पर तेजाब फेंक दिया जिसके परिणामस्वरूप उसके चेहरे और शरीर पर तेजाब से जलने से गंभीर घाव हो गए । अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 34 के अधीन आरोपित किया गया था और उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा दी गई थी ।

कुछ मामलों में जिनका उद्देश्य स्त्रियों के विरुद्ध होता है, दहेज और संपत्ति तेजाब से आक्रमण के लिए कारण हो सकते हैं । संपत्ति और भूमि विवाद और कभी-कभी बदला[34] व्यक्तियों के विरुद्ध तेजाब से आक्रमण के लिए उद्देश्य साबित हो सकता है । यह मालूम होता है कि इस विचार का प्रसार कि तेजाब शत्रुओं को हानि पहुंचाने और मारने का आसान प्रभावी तरीका है, स्त्रियों और पुरुषों दोनों के विरुद्ध सामान्य आक्रमणों के लिए हो सकता है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष[35] मामले में अपराधी मृत स्त्री सुशीला का पति था और वह उसको और अपनी पुत्रियों बिन्दू तथा नंदनी को संपत्ति हड़पने के लिए मारना चाहता था क्योंकि वह उसकी सम्पदा का आसन्न हितकारी था । उसने उस पर उसे मारने के लिए तेजाब छिड़क दिया । उसके चेहरे, छाती, गर्दन आदि सहित उसके शरीर के बड़े भागों पर जलने के बड़े-बड़े घाव हो गए । डाक्टर के अनुसार मृत्यु संक्षारक तेजाब के घावों और सदमें के कारण हुई थी । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी रामचरित्र और किशोरी लाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया । उनकी अभिमुक्ति के लिए अपील को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । पीड़ितों को कोई प्रतिकर नहीं दिया गया ।

---

[33] (1998 (4) ए.एल.डी. 18)

[34] मध्य प्रदेश राज्य बनाम झड्डू और अन्य (1991 सप्ली. (1) 545) भी देखें ।

[35] रामचरित्तर और अन्य आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि (04.04.2007 - एस.सी.).

दूसरे मामले[36] में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक नर्स और एक कम्पाउंडर ने षडयंत्र किया और तेजाब तथा किरोसीन के मिश्रण को डाक्टर के ऊपर उसके द्वारा नर्स के अभिकथित बलात्संग के लिए बदले के रूप में डाल दिया । डाक्टर को 100 प्रतिशत जलने के घाव हुए और पश्चात्वर्ती उसकी उनके कारण मृत्यु हो गई । अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 109 के अधीन आरोपित किया गया था किंतु उन्हें साक्ष्य की कमी के कारण दोषमुक्त कर दिया गया ।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक मामले में[37] मृत्य व्यक्ति और अपराधी के बीच अधिक्रमण से संबंधित एक विवाद में, अभियुक्त ने मृत्य व्यक्ति पर तेजाब डाल दिया और इससे तेजाब से जलने के गंभीर घाव हो गए और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । मुख्य अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपित किया गया था और उसे कठोर आजीवन कारावास का दंड दिया गया था ।

बहुत से मामले, जिनमें मृत्यु नहीं होती, उपहति और गंभीर उपहति से संबंधित धाराओं के अधीन और हत्या के प्रयत्न के लिए नहीं रजिस्टर किए जाते हैं क्योंकि यह नहीं माना जाता है कि अपराधी का आशय मारने का था या उसे इसका ज्ञान था कि इस अपराध से मृत्यु कारित होने की संभावना है ।

झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले[38] में पीड़ित अपनी मित्र के साथ धनबाद में बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी । अपीलार्थी आया और उसने उसके सिर और चेहरे पर तेजाब डाल दिया । अपीलार्थी के पास पीड़ित का एक फोटो था और वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था किंतु उसने उसकी मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया था । पीड़ित के उसकी आंख के दांयी तरफ, गर्दन और छाती पर जलने से घाव हो गए और उसे अस्पताल में रहना पड़ा । भारतीय दंड संहिता की धारा 324, धारा 326, धारा 307 के अधीन एक मामला रजिस्टर किया गया था । पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और अंत में पूर्वोक्त धाराओं के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध

---

[36] महेश और परिमलादेवी बनाम राज्य, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 10.4.2003 को विनिश्चित किया गया था .

[37] बराती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 839).

[38] अवधेश राय बनाम झारखंड राज्य (12.06.2006 को विनिश्चित किया गया).

आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विद्वान् दूसरे अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया और उसे तीन वर्ष के लिए कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया । अपीलार्थी की दोषसिद्धि की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि कर दी गई थी । किसी भी प्रकार का प्रतिकर पीड़ित को नहीं दिया गया था । इस मामले में यह प्रतीत होता है कि न्यायालय का क्षतियों की प्रकृति से, जो उसकी राय में गंभीर उपहति के बराबर नहीं थी, मार्ग-निर्देशन हुआ था ।[39]

तेजाब से आक्रमण वाले अधिकाशं प्रसिद्ध मामलों में से एक में अभियुक्त ने एक लड़की हसीना पर, उसके कार्य के प्रस्ताव से इनकार करने के लिए, तेजाब फेंक दिया था । इससे उसकी शारीरिक आकृति में गहरे दाग हो गए थे, उसके चेहरे का रंग और आकृति परिवर्तित हो गई थी और वह अंधी हो गई थी । अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया था । विचारण न्यायालय के तीन लाख रुपए के जुर्माने के अतिरिक्त दो लाख रुपए का प्रतिकर अभियुक्त द्वारा हसीना के माता-पिता को दिया जाना था ।

यह एक प्रसिद्ध मामला था क्योंकि यह पहली बार था कि कोई प्रतिकर, जो काफी बड़ी राशि थी, पीड़ित को, प्लास्टिक शल्यक्रियाओं सहित चिकित्सा संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए दिया गया था । तथापि, आक्रमण के पश्चात् के प्रभावों के लिए जैसे आय न होना आदि के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया गया था ।

दिल्ली के एक मामले में[40] अपराधी ने पीड़ित के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था । द्रव्य उसके चेहरे पर छिड़का गया और उसने उसकी ऊपरी पलक को अंर्तवलित करते हुए उसके चेहरे के एक भाग की त्वचा के ऊपर कुछ लालिमा (एरिथिमा) कर दी । त्वचा का कोई क्षरण नहीं हुआ था या कोई अन्य अपंगता नहीं हुई थी । अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा

---

[39] एपीएयू के विद्यार्थी और कुमारी अनुराधा, विद्यार्थी बनाम रजिस्ट्रार, एपीएयू, एन. श्रीनिवास रेड्डी, विद्यार्थी और अन्य (1997 (1) एएलटी 547 को भी देखें).

[40] जलाहाली पुलिस स्टेशन द्वारा कर्नाटक राज्य बनाम जॉसेफ रोड्रिग्युज पुत्र श्री वी. जेड. रोड्रिग्युज (माननीय केरल उच्च न्यायालय में 22.8.2006 को विनिश्चित किया गया).

323 के अधीन चोट कारित करने के लिए सिद्धदोषी ठहराया गया था और 15 दिन के कारावास के साथ 300/-रु. का छोटा सा जुर्माना किया गया था । तेजाब से आक्रमण के लिए इस प्रकार का दंड एक प्रकार का स्वयं में उपहास है और वह अपराध की गंभीरता और सदमें के समान, जो पीड़ित के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है, अन्य पश्चात्वर्ती प्रभावों को विचारण में नहीं लेता है ।[41]

सईद शफीक अहमद बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[42] में पति द्वारा अपनी पत्नी पर और दूसरे व्यक्ति पर विभत्स तेजाब से आक्रमण का कारण अपनी पत्नी के साथ व्यक्तिगत शत्रुता थी । इससे पत्नी और साथ ही उस दूसरे व्यक्ति के चेहरे विद्रूपित हो गए और पत्नी की सीधी आंख की दृष्टि समाप्त हो गई । अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 और 324 के अधीन आरोपित किया गया था और उसे 500/-रु. के जुर्माने और तीन वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था । यह मामला पुनः दर्शित करता है कि दिया गया दंड जो बहुधा दिया जाता है आक्रमण का जानबूझकर कार्य करने की और विभत्स प्रकृति को ध्यान में नहीं रखता है और केवल क्षतियों की तकनीकियों पर दिया जाता है ।

एक दूसरे मामले में[43] शत्रुता के कारण मां और पुत्र दोनों के द्वारा पीड़ित व्यक्तियों पर तेजाब फेंका गया था । पीड़ित व्यक्तियों में से एक को तेजाब से जलने से पूरी पीठ पर स्कैपूलर रीढ़ की हड्डी से इलियाक क्रेस्ट तक बहुत से घाव हो गए थे । दूसरे पीड़ित व्यक्ति के सीधी आंख की भौंह के मध्य अंत के ठीक ऊपर माथे के सीधी तरफ रासायनिक जले के घाव हो गए थे और त्वचा काली हो गई थी । उसके दांयी ऊपरी बांह के पार्श्व भाग पर तेजाब से जलने से बहुत से घाव हो गए थे और त्वचा, अन्य घावों के अतिरिक्त, काली हो गई थी । अभियुक्तों को धारा 304 के अधीन (हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड) और भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 (सामान्य आशय के साथ स्वैच्छया चोट कारित करने के लिए दंड, के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया था और एक वर्ष के कारावास से तथा एक वर्ष के

---

[41] राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम मेवासिंह 5(1969) डीएलटी 506.

[42] 2002 क्रि. एल. जे. 1403.

[43] उत्तर प्रदेश बनाम श्रीमती एक्वीला और अन्य (1999 क्रि. एल. जे. 2754).

कठोर कारावास से दंडित किया गया था ।

इस प्रकार वर्षों में उपहति, गंभीर उपहति, हत्या आदि से संबंधित धाराओं के अधीन विभिन्न प्रकार के तेजाब से आक्रमणों को रजिस्टर किया गया है । तथापि, तेजाब से आक्रमण के अपराध की प्रकृति और प्रभाव बहुत सुभिन्न और जटिल है और उपहति तथा गंभीर उपहति से संबंधित धाराएं पर्याप्त अनुतोष और दंड का उपबंध नहीं करती है । इसके अतिरिक्त पुलिस बहुधा यह विनिश्चय करने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करती है कि तेजाब से आक्रमण के मामले में किन धाराओं को रजिस्टर किया जाना चाहिए और यह विवेकाधिकार बहुधा लिंग भेद और भ्रष्टाचार द्वारा प्रभावित होता है और गलत निर्धारण होता है ।

अधिकांश मामलों में कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है, उन मामलों में जिनमें प्रतिकर दिया गया है राशि बहुत छोटी है और पूर्ण रूप से चिकित्सा संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है । सधारणतया न्यायालय जुर्मानों का, पीड़ित व्यक्तियों को उन्हें दिए बिना, उद्ग्रहण करते हैं । अतः दंड प्रक्रिया संहिता में प्रतिकर संबंधी धारा को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उद्ग्रहित जुर्मानों को पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को दिया जाना चाहिए ।

पीड़ित व्यक्ति धीमी न्यायिक प्रक्रियाओं, अपर्याप्त प्रतिकर के कारण और स्पष्ट रूप से तेजाब से आक्रमण के पश्चात्वर्ती प्रभावों से ही अधिक कष्ट उठाते हैं ।

इस प्रकार भारतीय दंड संहिता में ऐसी सुभिन्न धाराओं को अधिनियमित करने की अत्यावश्यकता है जो तेजाब से आक्रमणों के संबंध में कार्रवाई करें और ऐसे मामलों के संबंध में प्रभावी और दक्ष रीति से कार्रवाई करने के लिए भारतीय आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड स्थापित करें, तेजाब के आक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के चिकित्सा संबंधी व्ययों और पुनर्वास के लिए प्रतिकर पाने में सहायता करें । इसके अतिरिक्त कि वे कतिपय संबंधों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 को अनिवार्य बना दे ।

अध्याय- IV

दूसरे देशों में विधि

अन्य देशों में तेजाब संबंधी हिंसा : एक स्थितिपरक विश्लेषण

आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, एल. सालवाडोर, युथोपिया, इटली, लाओस, मलयशिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइलैंड, युगांडा, यू.के., यू.एस.ए. और वियतनाम सहित विश्व के विभिन्न भागों में तेजाब से आक्रमणों को दस्तावेजीकृत किया गया है । तथापि बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, कम्बोडिया और युगांडा में ऐसी घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है और वे बढ़ रही हैं । इन आक्रमणों के लिए उत्तरदायी कतिपय सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे "किसी संबंध या विवाह प्रस्ताव से इनकार, किसी लड़की द्वारा अपने पति के लिए दहेज लाने में असफलता, विवाह संबंधी विवाद, कुटुम्ब संबंधी विवाद, राजनीतिक शत्रुताएं, भूमि विवाद और दृश्य पर पीड़ितों की आकस्मिक उपस्थिति" रहे हैं ।[44] अधिकांश कारण विनिर्दिष्ट रूप से लिंग संबंधी हैं और बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, कम्बोडिया और युगांडा जैसे देशों में सामान्य कारण हैं ; जहां स्त्रियों के विरुद्ध अन्य अपराध जैसे दहेज संबंधी अपराध, घरेलू हिंसा और सम्मानीय अपराध विद्यमान हैं । वास्तव में भारत में, यह कहा गया है कि "स्त्रियों पर तेजाब से आक्रमण लिंग संबंधी हिंसा का प्रणालीबद्ध रूप हैं । पुरुषों पर तेजाब से आक्रमणों के असमान, इन आक्रमणों का उपयोग स्त्रियों को चुप करने और नियंत्रित करने के लिए शस्त्र के रूप में, उसको नष्ट करके किया जाता है, जिसे उसकी पहचान अर्थात् उसके शरीर के प्राथमिक घटक के रूप में संरचित किया गया है । तदुपरि तेजाब से आक्रमणों के विरुद्ध किसी प्रचार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि तेजाब से आक्रमणों को लिंग सृजित लैंगिक हिंसा के रूप में मान्यता देने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण रूप से इन आक्रमणों में अंतरनिहित पैतृक समाज संबंधी धारणाओं को पहचानने के लिए यह महत्वपूर्ण है जनमत को गतिशील बनाया जाए ।"[45]

आगे देश - विनिर्दिष्ट प्रवृतियों को व्यक्त करना, इस समस्या को संबोधित करने के लिए

---

[44] इंटरनेट एडीशन होलीडे, स्त्रियों के विरुद्ध तेजाब से हिंसा, सादनाज खां, 27 मई, 2005.

[45] वर्नट नॉट डेस्ट्रॉयड - सीएसएएएडब्ल्यू द्वारा रिपोर्ट.

समुचित विधान बनाते समय, उपयुक्त है । उदाहरण के लिए कम्बोडिया में तेजाब संबंधी हिंसा के बहुत से मामले घरों में होते हैं, अतः इस अपराध को उनके घरेलू हिंसा अधिनियम में संबोधित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है । समान दृष्टिकोण 1995 में बंगलादेश में अपनाया गया था जब सरकार ने प्रारंभ में तेजाब से आक्रमणों को लिंग विनिर्दिष्ट अपराध समझा और क्रूअल्टी टू वोमैन एंड चिल्ड्रन एक्ट पारित किया । 2000 में प्रिवेन्शन ऑफ ऑपरेशन अगेन्स्ट वोमैन एंड चिल्ड्रन एक्ट पुनः स्त्रियों और बच्चों पर तेजाब से आक्रमणों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पारित किया गया । तथापि पुरुषों के विरुद्ध तेजाब से हिंसा की प्रवृत्तियों में वृद्धि ने, जो पश्चात्वर्ती 1900 के आखिर में प्रारंभ हुई थी, बंगलादेशी सरकार के लिए एक ऐसी विधि को पारित करना आवश्यक बना दिया जो स्त्रियों और पुरुषों दोनों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट शब्दों में अपराध के बारे में कार्रवाई करती हो । अतः 2002 में दो नई विधियां, एसिड ओफेन्सेज प्रिवेन्शन एक्ट, 2002 और एसिड कंट्रोल एक्ट इस बढ़ती हुई समस्या को संबोधित करने के लिए अधिनियमित की गई थीं ।

बंगलादेश

बंगलादेश में तेजाब से आक्रमण में स्थिर रूप से वृद्धि हुई है, जो लगभग 12 प्रतिवर्ष से बढ़कर 1990 के मध्य में 50 प्रतिवर्ष की हो गए थे । इससे भी अधिक चौंकाने वाली वृद्धि 1990 के अंत में देखी गई थी जब बंगलादेश में गैर सरकारी संगठनों ने 250 मामले तक प्रतिवर्ष की रिपोर्ट की । ऐसे मामलों में अचानक वृद्धि का कारण भागतः अधिक अच्छी रिपोर्ट किए जाने और 1995 में नारीपोखो, स्त्रियों की वकालत करने वाले एक संगठन द्वारा और 1999 में एसिड सरवाईवर फाउंडेशन इन ढाका जैसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा मामलों के अधिक दृश्यमान बनाने को माना जाता है । इन गैर सरकारी संगठनों ने यह सुनिश्चित किया कि जितना अधिक संभव हो मामलों की रिपोर्ट की जाए और उन्हें रिकार्ड किया जाए और यह कि पीड़ितों को सहायता और प्रतिकर प्राप्त हो ।[46] तथापि इस वृद्धि के केवल इस भाग का उस उन्नति से स्पष्टीकरण

---

[46] तेजाब से आक्रमण : हिंसा को रोकने के लिए बंगलादेश के प्रयत्न, जोरडन स्वानसन, हारवर्ड हेल्थ पालिसी रिव्यू आर्काइब्स, स्प्रिंग 2002 ; वाल्यूम 3, नं. 1.

किया जा सकता है, जो मामलों के दस्तावेजीकरण में की गई थी ।[47] 2001 में 340 मामलों की रिपोर्ट की गई थी, 2002 में 336 मामलों की रिपोर्ट की गई थी और 2003 में, 335 मामलों की रिपोर्ट की गई थी ।[48] पहले आक्रमण सदैव जवान स्त्रियों और लड़कियों के विरुद्ध उन पुरुषों द्वारा किए जाते थे जो पीड़ितों से अपने प्रेम प्रस्तावों या विवाह प्रस्तावों को नामंजूर करने से गुस्सा हो गए थे । तथापि, जब अपराध अधिक सामान्य हो गया तो आक्रमणों के लिए उद्देश्य अधिक विभिन्न प्रकार के होने लगे और इस समय पीड़ितों में से 30 प्रतिशत से अधिक पुरुष हैं और भूमि विवाद आक्रमणों के लिए सबसे बड़े कारणों में से एक है ।[49]

1999 और 2002 के बीच बंगलादेश में तेजाब से आक्रमणों में 50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप 2002 में 485 आक्रमण सामने आए । 2003 में 15 प्रतिशत मामलों में कमी होने के कारण ये 410 प्रतिवर्ष हो गए ।[50]

बंगलादेश में अनुभव यह था कि तेजाब से आक्रमण के मामले न्यायालय में अभियोजित किए जाने में 10 वर्ष लग जाते थे और 10 मामलों में से एक विचारण के लिए नहीं जाता था ।[51] 1999 तक केवल 10 पुरुष तेजाब से आक्रमण के अपराध के परिणामस्वरूप कारावास में डाले गए थे । 1999 और 2001 के बीच 750 तेजाब से आक्रमणों के मामलों की रिपोर्ट की गई थी और केवल 25 दोषसिद्ध ठहराए गए थे ।[52]

एसिड ऑफेन्सेज प्रिवेन्शन ऐक्ट, 2002[53] (तेजाब संबंधी अपराध निवारण अधिनियम, 2002) यथो निम्नलिखित है :

धारा 4 : तेजाब द्वारा किसी व्यक्ति को मारने के लिए दंड : जो कोई किसी को तेजाब से मारता है वह मृत्यु या कठोर आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी, जो एक लाख टका से

---

[47] युगांडा में तेजाब से हिंसा के विधिक पहलुओं के अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण के साथ आधारभूत सर्वेक्षण, तेजाब उत्तरजीवी फाउन्डेशन युगांडा, विधि परामर्शी, रेचल फोर्सटर द्वारा कराया गया, नवंबर, 2004.

[48] स्त्रियों के विरुद्ध तेजाब से हिंसा, तेजाब उत्तरजीवी फाउंडेशन को उद्धृत करते हुए.

[49] तेजाब उत्तरजीवी फाउंडेशन बंगला देश.

[50] तेजाब उत्तरजीवी फाउंडेशन बंगलादेश.

[51] मोनिश रहमान, कार्यकारी निदेशक, तेजाब उत्तरजीवी फाउंडेशन, बंगलादेश.

[52] ऊपर 21.

[53] 2002 के अधिनियम 2 का गैर-शासकीय अनुवाद, बंगलादेश की संसद.

जो अपराध का अन्वेषण करने में लापरवाह हैं या भ्रष्ट हैं, विधिक कार्रवाई की जाएगी।

4. पीड़ित की चिकित्सीय परीक्षा । यह धारा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि तेजाब के आक्रमण से पीड़ित व्यक्ति की तुरंत उचित चिकित्सीय परीक्षा हो और वह परीक्षा के संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करे । यह धारा यह भी अभिकथित करती है कि किसी लापरवाह डाक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।

5. अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय अशमनीय और गैर-जमानतीय है ।

6. यद्यपि अपराध को अधिनियम की धारा 13 में गैर-जमानतीय माना गया है, किंतु अधिनियम की धारा 14 एक विनिर्दिष्ट उपबंध है जो न्यायालय को इस बारे में कि वह कब जमानत दे सकता है विवेकाधिकार देता है । यह धारा कथन करती है कि कोई जमानत संबंधी याचिका फाइल नहीं की जा सकती है । यदि न्यायालय को इस बात का विश्वास है कि शिकायतकर्ता को जमानत संबंधी याचिका पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, या इस धारणा के लिए युक्तियुक्त आधार है या वह स्त्री या बच्चा नहीं है या शारीरिक रूप से उसका ह्रास नहीं हुआ है और अधिकरण का समाधान नहीं हुआ है कि न्याय के उद्देश्यों में, यदि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो, बाधा नहीं डाली जाएगी । यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति अपराध में अंतर्वलित नहीं है तो वह जमानत मंजूर कर सकता है ।

7. तेजाब संबंधी अपराध निवारण अधिकरणों को केवल तेजाब संबंधी मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित किया गया है, जिनके प्रमुख जिला या सत्र न्यायाधीश होते हैं । ये विषय विनिर्दिष्ट अधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि अधिकरणों के सदस्य तेजाब से आक्रमण के मामलों के प्रति उचित रूप से संवेदनग्राही हैं ।

तेजाब नियंत्रण अधिनियम (The Acid control Act) बंगलादेश में तेजब के विक्रय और प्रदाय को निर्बंधित और नियंत्रित करने के बारे में है । यह अधिनियम बंगलादेश में तेजाब के विक्रय और प्रदाय का नियंत्रण करने का प्रयास करता है । 15 सदस्य वाली राष्ट्रीय तेजाब नियंत्रण परिषदें संपूर्ण देश में स्थापित की गई है । प्रत्येक परिषद् का प्रमुख जिला आयुक्त है । परिषदों के सदस्यों का चयन सरकार से और वकीलों, व्यापारी व्यक्तियों, चिकित्सा व्यवसायियों, स्त्रियों के मामलों में विशेषज्ञों और

मीडिया के सदस्यों में से किया जाता है । परिषदें अपने-अपने क्षेत्र में तेजाब के विक्रय के संबंध में विधियों को प्रवर्तित और मानीटर करने के लिए और साथ ही पीड़ितों की उचित रूप से रिपोर्ट करने, उनके उपचार और पुनर्वास में सहायता करने के लिए कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव करती हैं ।

परिषदें तेजाब संबंधी अपराधों के परिणामों के बारे में लोक चेतना जगाती है । नई विधि के अधिनियमन के बावजूद बंगलादेश में अनुभव यह रहा है कि अभी भी तेजाब के विक्रय को निर्बंधित करना बहुत कठिन है । पहले आक्रमण के दौरान प्रयोग किए गए तेजाब के स्रोत को प्राप्त करना और इस प्रकार प्रदायकर्ता को अभियोजित करना कठिन है । विधि सम्मत बहानों का प्रस्ताव करके तेजाब की मांग करने के लिए, वास्तविक कारण छिपाना बहुत आसान है । आगे प्रदायकर्ताओं के लिए अपने रिकार्डों में तेजाब के वास्तविक प्रदाय को आड़ में रखना प्रयासहीन कार्य है और चूंकि रिश्वत बंगलादेश में सामान्य है अतः तेजाब को प्राप्त करना आसान है ।

कंबोडिया

कंबोडिया में तेजाब से आक्रमणों पर 2003 की रिपोर्ट में,[55] जिसमें समाचार-पत्रों से सामग्री एकत्रित की गई थी, यह रिपोर्ट किया गया था कि दिसंबर, 1999 और नवंबर, 2002 के बीच 63 व्यक्तियों पर तेजाब से आक्रमण किए गए थे । इनमें से 30 पीड़ित स्त्रियां थीं और 31 पुरुष थे । तथापि, 29 प्रतिशत पीड़ित आक्रमण का लक्ष्य नहीं थे और 12 पुरुष और 4 स्त्रियां तथा दो अन्य, जिन के लिंग के बारे में रिपोर्ट नहीं की गई थी, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए थे और उनमें पीड़ितों के मित्र तथा कुटुंब के सदस्य या उनके ड्राइवर तथा अन्य आसपास से निकलने वाले सम्मिलित थे । इस प्रकार अधिकांश आशयित पीड़ितों में स्त्रियां थीं । तत्पश्चात् यह रिपोर्ट किया गया है[56] कि तेजाब से आक्रमण की हिंसा के 60 ज्ञात मामले 2005 में हुए थे । तथापि अन्य[57] संदेह करते हैं वार्षिक घटना दर 100 जितनी अधिक हो सकती है । एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट[58] कहती है कि अक्तूबर, 1999 से दिसंबर, 2006 तक तेजाब से आक्रमण के 111 मामले

---

55 लिकाधो द्वारा 2003 की रिपोर्ट, लिविंग इन दि शेडोज : कंबोडिया में तेजाब से आक्रमण: यंत्रणा के विरुद्ध प्रोजेक्ट मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए कंबोडियन लींग द्वारा प्रकाशित (लिकाधो).

56 कंबोडियन एसिड सरवाइवर्स चोरंटी (सीएएससी) द्वारा दिए गए आंकड़े ।

57 सस्पेक्ट एसिड सरवाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल (एएसटीआर).

58 दि कम्बोडिया डेली 15 दिसंबर, 06.

हुए, जिनमें कुल मिलाकर 181 पीड़ित थे । इनमें से अधिकांश आक्रमण स्त्रियों[59] पर किए गए थे और उनमें अपनी पत्नियों या पूर्व पत्नियों पर तेजाब छिड़कने वाले पति ; दूसरी पत्नियां या मिस्ट्रेस पर तेजाब फेंकने वाली पत्नियां और कुछ मामलों में अपने पतियों पर तेजाब फेंकने वाले स्त्रियां क्योंकि उनके पति, उनके प्रति हिंसा (मारना और गाली देना) करते थे, सम्मिलित थीं :

विधि : तेजाब से हिंसा कम्बोडिया की आपराधिक विधि में विनिर्दिष्ट रूप से संबोधित नहीं की गई है । अपराधियों को क्षति के साथ प्रहार से आरोपित किया जा सकता है, जिसका दंडादेश 10 वर्ष तक का कारावास है ।

अनुच्छेद 41 हमला और प्रहार[60]

1. कोई व्यक्ति, जो स्वेच्छया दूसरे पर ऐसा प्रहार करता है जिसके परिणामस्वरूप क्षति होती है और उससे स्थायी असमर्थता या 6 मास से अधिक रहने वाली अस्थायी असमर्थता होती है, प्रहार का दोषी है और 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा ।

2. यदि असमर्थतता 6 मास से कम रहती है तो वह अपराध 6 मास से 2 वर्ष तक के कारावास की अवधि से दंडित किया जाएगा ।

3. यदि कोई असमर्थता नहीं है तो दंड 2 मास से 1 वर्ष तक के कारावास की अवधि का होगा ।

4. यदि किसी शस्त्र का आघात करने के लिए उपयोग किया जाता है तो कारावास की अवधि दुगुनी होगी ।

यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या उसे जीवन को खतरे में डालने वाली क्षति होती है तो अधिक गंभीर आरोप जैसे हत्या, प्रत्यन की गई हत्या या मानव वध के आरोप लगाए जाएंगे । इनका दंड 10 वर्ष के आजीवन कारावास का है ।

---

[59] लिकाधो द्वारा 2003 की रिपोर्ट, लिविंग इन दि शेडोज : कम्बोडिया में तेजाब से आक्रमण ।

[60] संक्रमणकालीन अवधि के दौरान कम्बोडिया में लागू न्यायपालिका और दंडविधि और प्रक्रिया से संबंधित तारीख 10 सितंबर, 1992 के उपबंध.

अनुच्छेद 31 हत्या :

1. कोई व्यक्ति, जो अपराध की पूर्व योजना बनाने के पश्चात् या घात लगाकार तैयारी करके मारता है या मारने का प्रयत्न करता है, या दूसरे व्यक्ति को डकैती या बलात्संग के अनुक्रम में मारता है या मारने का प्रयत्न करता है, वह हत्या का दोषी है और वह 10 से 20 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा ।

2. पूर्व योजना बनाना आक्रमण के वास्तविक निष्पादन के पूर्व दूसरे व्यक्ति पर किसी आक्रमण की कल्पना करने या तैयारी करने की प्रक्रिया है । घात लगाने में दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा का कार्य करने के आशय से प्रतीक्षा में रहना अंतर्वलित है ।

अनुच्छेद 32 : स्वेच्छया मानववध

कोई व्यक्ति जो स्वेच्छया अनुच्छेद 31 में वर्णित गुस्सा दिलाने वाली परिस्थितियों में से किसी के बिना दूसरे व्यक्ति को मारता है या मारने का प्रयत्न करता है, चाहे किसी शस्त्र का उपयोग किया जाता है या नहीं, स्वेच्छया मानववध करने के अपराध का दोषी है और वह 8 से 15 वर्ष तक की अवधि के कारावास का दायी होगा ।

तथापि दोषसिद्धियां केवल 6 मामलों में रिपोर्ट की गई हैं और स्त्रियों को साधारणतया पुरुषों से अधिक गंभीर दंड मिले हैं ।[61]

कंबोडिया की घरेलू हिंसा संबंधी विधि में एक प्रारूप उपबंध का नेशनल एसेम्बली और सीनेट द्वारा अनुमोदन किया जा रहा है । यह तेजाब फेंकने वालों के लिए 5 से 10 वर्ष के बीच के कारावास के दंड का प्रस्ताव करता है । सक्रिय कार्यकर्ता अभी भी इन शब्दों में परिवर्तन के लिए प्रचार कर रहे हैं जिससे कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को लागू हो सकें जो तेजाब फेंकता है, बजाए केवल उसके कुटुंब के सदस्यों को, जो कुटुंब के अन्य सदस्यों पर तेजाब फेंकता है, लागू होने के, जैसा अब है । इससे वे व्यक्ति अपवर्जित हो जाएंगे जो ऐसे पीड़ितों पर तेजाब फेंकते हैं, जो उनसे संबंधित नहीं हैं । यह भी कि सक्रिय कार्यकर्ता तर्क देते हैं कि तेजाब फेंकने वाले के लिए अधिकतम शस्ति में वृद्धि की जानी चाहिए विशेष रूप से यदि स्थायी विरुपता या

---

[61] 2003 लिकाधो रिपोर्ट.

असमर्थतता, जैसे अंधापन, कारित किया गया हो । यह प्रथम बार होगा कि कंबोडिया की विधि विनिर्दिष्ट रूप से तेजाब से आक्रमणों के प्रति निर्देश करेगी ।

तथापि आजतक घरेलू हिंसा संबंधी विधि, जिसका 2005 में अनुमोदन किया गया था, विनिर्दिष्ट शब्दों में तेजाब से आक्रमण के बारे में कार्रवाई नहीं करती है ।

यूगांडा

यूगांडा में एसिड सरवाइवर्स फाउंडेशन (एएसएफयू) (तेजाब उत्तरजीवी फाउंडेशन) के अनुसार तेजाब से हिंसा पुरुषों (48%) और स्त्रियों (52%) दोनों को लगभग समान संख्या में प्रभावित करती है ।[62] आक्रमणों के उद्देश्य घरेलू बहस, भूमि विवाद, व्यापारी दुश्मनी आदि हैं । ऐसे पीड़ितों के भी मामले हैं जिन्हें तेजाब फेंकते समय वहां होने के कारण गलती से क्षतिग्रस्त किया गया है, जैसे कंबोडिया में मामले हैं । ऐसे बहुधा बच्चे होते हैं, जो आक्रमण के समय पीड़ित मांओं द्वारा ले जाए जा रहे थे । एएसएफयू को ऐसे बहुत से मामलों की जानकारी है जहां पीड़ितों को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि उन्हें क्यों आक्रमण का लक्ष्य बनाया गया था । तेजाब संबंधी हिंसा यूगांडा में समाज के सामाजिक स्तर को - बहुत गरीबतम व्यक्तियों से बहुत प्रभावशाली और धनी व्यक्तियों तक - पार कर जाती है । ए.एसएफयू ने पाया है कि आक्रमण केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाते हैं जिसे शिकायत है किंतु 15 प्रतिशत मामलों में तेजाब किसी हत्यारे द्वारा, जिसे बहुत कम कीमत पर किराये पर लिया जा सकता है, फेंका जाता है ।

ए. एस. एफयू. संदेह करती है कि तेजाब से आक्रमण के मामलों के कम रिपोर्ट किए जाने का कारण पीड़ितों से जुड़ा हुआ लोक कलंक, न्याय तक कम पहुंच, पुलिस - अक्रमण्यता और पीड़ित व्यक्ति की पुलिस प्रणाली और तत्पश्चात् न्यायालयों के माध्यम से मामला लड़ने के लिए वित्त की कमी है ।

यूगांडा पीनल कोड के अधीन तेजाब संबंधी हिंसा के अपराधियों को गिरफ्तार करने, अभियोजित करने, दोषसिद्ध ठहराने और दंडादेश देने के लिए सुसंगत धारा 216 (छ)(पूर्ववर्ती धारा 2009) है और उसमें आजीवन कारावास है और वह यथा निम्नलिखित है :-

---

[62] युगांडा में तेजाब से हिंसा के विधिक पहलुओं के अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण के साथ आधारभूत सर्वेक्षण, 2004.

"कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को बुरी तरह चोट पहुंचाने, विद्रूपित करने या निर्योग्य बनाने या किसी व्यक्ति को कुछ गंभीर हानि पहुंचाने या किसी व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध कानिवारण करने के आशय से -

(च) किसी स्थान में कोई क्षारीय द्रव या कोई विध्वंसात्मक या विस्फोटक पदार्थ रखता है ; या

(छ) किसी व्यक्ति पर अविधिपूर्ण रूप से किसी ऐसे द्रव या पदार्थ को डालता है, या फेकता है या किसी व्यक्ति के शरीर पर ऐसे द्रव या पदार्थ को अन्यथा लगाता है, वह घोर अपराध करता है और वह आजीवन कारावास का दायी है ।"

तथापि यह रिपोर्ट किया गया है कि उपर्युक्त धारा पुलिस या न्यायालयों द्वारा लगातार लागू नहीं की गई है । बहुत से आक्रमण करने वालों को दंड संहिता की अन्य धाराओं, उदाहरण के लिए धारा 219 के अधीन "घोर उपहति" के लिए, जो केवल 7 वर्ष तक का दंडादेश विहित करती है, आरोपित किया गया है । दूसरी समस्या जो उठती है वह यह है कि पुलिस अधिकारियों के पास ऐसे आरोपों की, जो वे लगा सकते हैं, श्रेणियों के संदर्भ में, बहुत अधिक विवेकाधिकार हैं । इसके अतिरिक्त पुलिस आरोप लगाने में एकरुप नहीं है क्योंकि वे आरोप, जो फाइल किए जाते हैं, पुलिस अधिकारी के व्यक्तिगत विनिश्चय पर, बजाए नीति के ऊपर, निर्भर प्रतीत होते हैं ।

एक आरोप बहुधा क्षति के स्तर के अनुसार बजाए आक्रमण के पीछे आशय और उद्देश्य के अन्वेषण द्वारा, लगाया गया है । अतः यदि पीड़ित बड़ी क्षतियों से बचने की व्यवस्था कर लेता है तो अपराधी को निर्मुक्त कर दिया जाता है या केवल छोटे हमले से आरोपित किया जाता है इस तथ्य के बावजूद कि अपराधी का आशय पीड़ित को विद्रूपित करना या मारना था । ए. एस.एफ.यू. ने ऐसे मामले अभिलिखित किए हैं जहां कोई शारीरिक क्षति नहीं हुई है और इसलिए अपराधी का कोई अभियोजन नहीं किया गया है या केवल हल्का दंडादेश दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित पश्चात्वर्ती आक्रमण किए जाने के डर में जीवित रहता है । यूगांडा में केवल कुछ तेजाब से आक्रमणों को हत्या का प्रयत्न किए जाने के अधीन आरोपित किया गया है जो तेजाब से आक्रमण की पहले से योजना बनाने की प्रकृति को देखते हुए अऋजु प्रतीत होता है ।[63] इसके अतिरिक्त यूगांडा में पुलिस बहुधा भ्रष्ट है, अभियोजक अकर्मण्य हैं और कभी-कभी मामलों को बंद कर दिया जाता है क्योंकि

---

[63] ए. एस. एफ. य रिपोर्ट, 2004.

पीड़ितों को या तो धमकी देकर चुप करा दिया जाता है या उन्हें संदाय कर दिया जाता है ।

जैसा ऊपर स्पष्ट नहीं है, दंडादेश देने में कोई निरंतरता नहीं है, एक तथ्य जिसकी साधारणतया यूगांडा के दंड देने की पद्धति में पुष्टि की गई है । दंडादेश कुछ मासों से (जिनमें से अधिकांश प्रतिप्रेषण पर निकल जाते हैं) आजीवन कारावास तक के भिन्न-भिन्न होते हैं । पुलिस और न्यायिक विवेकाधिकार लागू होता है और चूंकि बहुत से व्यक्ति तेजाब संबंधी मामलों की गंभीरता को नहीं समझते हैं, बहुधा हल्के आरोप लगाए जाते हैं और उसके परिणामस्वरूप कम दंड मिलते हैं । साधारणतया दंड स्वास्थ्य, काम, परिवार और सामाजिक पारिस्थितियों के अनुसार पीड़ित को कारित स्थायी नुकसान को देखते हुए बहुत हल्के होते हैं । एएसएफयू के हस्तक्षेप करने के पूर्व यूगांडा में 62 प्रतिशत ज्ञात तेजाब संबंधी मामलों में, अपराधियों को 10 वर्ष से कम का अभिरक्षा संबंधी दंडादेश मिले थे । ए. एस. एफ. यू. के हस्तक्षेप के पश्चात् से, यह अंक घटकर 46 प्रतिशत हो गया है ।

इस समय किसी प्रकार का प्रतिकर तेजाब से आक्रमणों के पीड़ितों को उपलब्ध नहीं है । उन महत्वपूर्ण खर्चों के बावजूद जो पीड़ितों द्वारा और उनके कुटुंबों द्वारा आक्रमणों के परिणामस्वरूप किए जाते हैं । कोई सरकारी निधि प्रतिकर के किसी रूप में विद्यमान नहीं है, जुर्माने अपराधियों पर अधिरोपित नहीं किए जाते हैं और ए. एस. एफ. यू. के पास अपराधियों के विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई किए जाने के रिकार्ड नहीं हैं ।

संकेंद्रित सल्फ्यूरिक तेजाब, जिसे सामान्यतया यूगांडा में बैटरियों को रि-चार्ज करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, पैट्रोल स्टेशनों, सड़कों के किनारों पर और नगरों के औद्योगिक क्षेत्रों में आउटलेटों पर किसी व्यक्ति द्वारा, उससे कोई प्रश्न पूछे बिना, क्रय किए जाने के लिए तुरंत उपलब्ध है ।

इस समय तेजाब के विक्रय और प्रदाय को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कोई पर्याप्त विधान नहीं है और उन कारोबारों का नियंत्रण करने के लिए कोई विधियां नहीं है जो अपने विनिर्माण की प्रक्रिया में तेजाब का उपयोग करते हैं, न उनके लिए है, जो ऐसे रसायनों का परिवहन, आयात और निर्यात करते हैं । विक्रेताओं द्वारा तेजाब के विक्रय और प्रदाय का नियंत्रण करने वाली कोई अनुज्ञापन विधियां नहीं हैं और उनका, जो तेजाब का क्रय करते हैं

और उनके क्रय के लिए कारणों का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है ।

तथापि यूगांडा पीनल कोड की धारा 230, जिसका कठिनाई से ही उपयोग किया जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति को 6 मास के कारावास से और 2000 शिलिंग के जुर्माने से दंडित करती है, जो किसी विषैले पदार्थ के साथ कोई कार्य किसी ऐसे रीति से, जो इतनी उतावली या उपेक्षापूर्ण है कि उससे मानव जीवन खतरे में पड़ता है या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होने की संभावना होती है या जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक अपने कब्जे में के किसी विषैले पदार्थ की ऐसी देखरेख करने में लोप करता है, जो मानव जीवन की ऐसे विषैले पदार्थ से संभव खतरे के विरुद्ध रक्षा करने के लिए पर्याप्त है ।

नाइजीरिया

तेजाब से हिंसा की पहली रिपोर्ट पोर्ट हारक्रोर्ट के शहर में 1990 के प्रारंभ में की गई थी ।[64] 2001 और 2004 के बीच स्त्रियों पर तेजाब से आक्रमण के रिपोर्ट किए गए मामले 21 थे और दूसरे 14 मामले 1919 और 2000 के बीच हुए थे ।[65] यद्यपि तेजाब से हिंसा नाइजीरिया में लिंग आधारित अपराध है, किंतु वहां हाल में पुरुषों के विरुद्ध भी आक्रमणों के मामलों की रिपोर्ट की गई है । 2003 और 2004 के बीच रिपोर्ट किए गए 7 आक्रमण स्त्रियों द्वारा पुरुषों के विरुद्ध किए गए थे ।[66]

नाइजीरिया में इस समय ऐसा कोई विधि नहीं है जो विनिर्दिष्ट रूप से तेजाब से आक्रमणों के बारे में कार्रवाई करती हो । अपराधियों को प्रहार के लिए या घोर उपहति कारित करने के लिए दंड संहिता के अधीन अभियोजित किया जाता है ।[67] नाइजीरिया में दंड संहिता की सुसंगत धाराएं यथा निम्नलिखित हैं :-

अध्याय 28

जीवन या स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले अपराध

---

[64] स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा पर परियोजना चेतावनी .
[65] पूर्वोक्त
[66] पूर्वोक्त.
[67] पूर्वोक्त.

332 कोई व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति को पूरी तरह चोट पहुंचाने, विद्रूपित या निर्योग्य करने या किसी व्यक्ति को कुछ गंभीर हानि पहुंचाने या किसी व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध का निवारण करने के आशय से -

(1) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार अविधिपूर्ण रूप से घायल करता है या कोई गंभीर हानि पहुंचाता है या

(2) अविधिपूर्ण रूप से किसी रीति में किसी व्यक्ति पर किसी किस्म के प्रक्षेपास्त्र या किसी भाले, तलवार, चाकू या अन्य खतरनाक या आक्रामक शस्त्र से हमला करने का प्रयत्न करता है ; या

(3) किसी विस्फोटक पदार्थ का विस्फोटित होना अविधिपूर्ण रूप से कारित करता है ; या

(4) किसी व्यक्ति को कोई विस्फोटक पदार्थ या अन्य खतरनाक या विषैली वस्तु भेजता है या उसका परिदान करता है ; या

(5) या किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे पदार्थ या वस्तु का ले जाया जाना या प्राप्त किया जाना कारित करता है, या

(6) किसी स्थान में कोई क्षारक द्रव या कोई विध्वंशात्मक या विस्फोटक पदार्थ रखता है ; या

(7) या किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा द्रव या पदार्थ अविधिपूर्ण रूप से डालता है या फेकता है या अन्यथा किसी ऐसे द्रव या पदार्थ को किसी व्यक्ति के शरीर पर लगाता है ;

घोर अपराध का दोषी है और आजीवन कारावास का दायी है ।

335 कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे को अविधिपूर्ण रूप से गंभीर हानि पहुंचाता है, घोर अपराध का दोषी है और सात साल के कारावास का दायी है ।

इस प्रकार नाइजीरिया में किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर क्षारीय द्रव रखने के लिए या किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा द्रव अविधिपूर्ण रुप से डालने या फेंकने के लिए, चाहे कोई क्षति कारित न हुई हो, आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है ।

जमायका

जमायका में व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध अधिनियम (ओएपीए) गंभीर शारीरिक हानि कारित

करने के लिए आजीवन कारावास के लिए उपबंध करता है । तेजाब से आक्रमण के बारे में वहां कोई विनिर्दिष्ट विधि नहीं है यद्यपि जमायका के बारे में कहा जाता है कि वहां पूर्ण रूप से तेजाब से आक्रमण के पीड़ितों की संख्या सर्वाधिक है । ओ ए पी ए (व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध अधिनियम) की सुसंगत धाराएं यथा निम्नलिखित हैं -

व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध अधिनियम

हत्या के लिए शास्ति : मृत्यु या आजीवन कारावास, 15 वर्ष से कम नहीं ।

हत्या के लिए प्रयास

13. जो कोई, हत्या करने के लिए, साशय, निम्नलिखित दशाओं में से किसी में कोई विष या अन्य विध्वंसक वस्तु किसी व्यक्ति को देगा, या दिया जाना या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा या किसी भी प्रकार के किसी साधन से किसी व्यक्ति को घायल करेगा या कोई गंभीर शारीरिक हानि कारित करेगा, घोर अपराध का दोषी होगा और उसका दोषसिद्ध होने पर, आजीवन कारावास के लिए कठोर श्रम के साथ या उसके बिना, दायी होगा ।

जीवन को खतरा या शारीरिक रूप से हानि कारित करने वाले या उनकी ओर प्रवृत्त कार्य[68]

20. जो कोई अविधिपूर्ण रूप से ओर विद्वेषपूर्वक, किसी भी प्रकार के किसी साधन से किसी व्यक्ति को घायल करेगा, या कोई गंभीर शारीरिक हानि कारित करेगा, या किसी व्यक्ति को गोली मारेगा, या ट्रिगर दबाकर अथवा किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का भरा हुआ कोई शस्त्र दागने का प्रयत्न करेगा और ऐसा वह साशय पूर्वोक्त दशाओं में से किसी में किसी व्यक्ति को बुरी तरह चोट पहुंचाने, उसे विद्रूपित या अपंग करने, या किसी व्यक्ति को कुछ अन्य गंभीर शारीरिक हानि करने के लिए करेगा या किसी व्यक्ति के विधिपूर्ण भय या उसे निरुद्ध करने वाले को रोकने या उसका निवारण करने के आशय से करेगा, वह घोर अपराध का दोषी होगा और उसका दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास के लिए, कठोर परिश्रम के साथ या उसके बिना, दायी होगा ।

---

[68] तेजाब उत्तरजीवी फाउंडेशन, युगांडा.

22. जो कोई अविधिपूर्ण रूप से या विद्वेषपूर्वक किसी व्यक्ति को, किसी शस्त्र या उपकरण के साथ या उसके बिना, घायल करेगा या कोई गंभीर शारीरिक हानि पहुंचाएगा वह उपअपराध का दोषी होगा और उसका दोषसिद्ध होने पर, कठोर श्रम के साथ या उसके बिना, ऐसी अवधि के कारावास का, जो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, दायी होगा ।

29. जो कोई अविधिपूर्ण रूप से और विद्वेषपूर्वक, बारूद या अन्य विस्फोटक पदार्थ के विस्फोटन द्वारा किसी व्यक्ति को जलाएगा, बुरी तरह चोट पहुंचाएगा, विद्रूपित करेगा, अपंग करेगा या कोई गंभीर शारीरिक हानि पहुंचाएगा, घोर अपराध का दोषी होगा और उसका सिद्धदोष होने पर, कठोर श्रम के साथ या उसके बिना, आजीवन कारावास के लिए दायी होगा ।

यूनाइटेड किंगडम[69]

यद्यपि तेजाब से हिंसा यू. के. में सामान्य नहीं है किंतु न्यायालयों ने, जब वहां ऐसे आक्रमण हुए हैं, अपराधियों को कठोर रूप से दंडित किया है । ऑफेंसेस अगेन्स्ट द पर्सन ऐक्ट, 1861 (व्यक्ति के विरुद्ध अपराध अधिनियम, 1861) की धारा 29 के अधीन आक्रमणों को आरोपित किया गया है । अधिनियम की यह धारा विनिर्दिष्ट रूप से ''किसी व्यक्ति को जलाने, बुरी तरह चोट पहुंचाने, विद्रूपित, विकलांग करने के आशय से किसी संक्षारक द्रव को डालने या लगाने'' के प्रति निर्देश करती है । यदि इस उपबंध के अधीन आरोपित नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर हत्या या प्रयत्न की गई हत्या का आरोप लगाया जाता है ।

व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, अधिनियम 1861

20. शस्त्र के साथ या उसके बिना शारीरिक क्षति पहुंचाना ।

जो कोई अविधिपूर्ण रूप से ओर विद्वेषपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को, किसी शस्त्र या उपकरण के साथ या उसके बिना, घायल करेगा या कोई गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाएगा तो वह

---

[69] इस अध्याय में तथ्यों को युगांडा में तेजाब से आक्रमण के विधिक पहलुओं के अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण के साथ आधारभूत सर्वेक्षण से लिया गया है.

किसी उपअपराध का दोषी होगा और उसका सिद्धदोषी होने पर दांडिक गुलामी [.....][34] में रखे जाने का [.....][35] दायी होगा ।

29. गंभीर शारीरिक हानि करने के आशय से बारूद का विस्फोटन कारित करना या किसी व्यक्ति को कोई विस्फोटक पदार्थ भेजना या किसी व्यक्ति पर संक्षारक द्रव फेंकना । जो कोई अविधिपूर्ण रूप से और विद्वेषपूर्वक किसी बारूद या अन्य विस्फोटक पदार्थ का विस्फोटन कारित करेगा, या किसी व्यक्ति को कोई विस्फोटक पदार्थ या कोई अन्य खतरनाक या हानिकारक वस्तु भेजेगा या परिदत्त करेगा या उसके द्वारा उसका लिया जाना या प्राप्त करना कारित करेगा या किसी संक्षारक द्रव या किसी विध्वंस करनेवाले या विस्फोटक पदार्थ को, किसी स्थान पर रखेगा या बिछाएगा या किसी व्यक्ति पर डालेगा या फेंकेगा या अन्यथा लगाएगा, और ऐसा वह साशय करेगा, चाहे कोई शारीरिक क्षति हो या नहीं, वह घोर अपराध का दोषी होगा और उसका सिद्धदोषी होने पर, न्यायालय के विवेकानुसार, आजीवन दांडिक गुलामी में रखे जाने या कारावासित किए जाने का दायी होगा ।

ऑफेंसेस अगेन्स्ट द पर्सन ऐक्ट, 1861 की धारा 29 के अधीन दंड देने वाले मार्ग निर्देशक सिद्धांत कथन करते हैं कि इस अपराध के लिए सदैव अभिरक्षा संबंधी दंडादेश होना चाहिए और अधिकतम दंडादेश आजीवन कारावास है । लंबे दंडादेश न्यायालयों द्वारा अधिकांशतः अपराध को पूर्व चिंतन के साथ किए जाने की प्रकृति के अनुरूप दिए गए हैं । 5 - 6 वर्षों के कारावास के दंड उन मामलों में बनाए रखे गए हैं जहां पीड़ित को या तो कोई क्षति नहीं हुई थी या न्यूनतम क्षति हुई थी । गंभीर विद्रूपण के मामलों में, 14-16 वर्षों के कारावास के दंडादेश दिए गए हैं । 1986 में मान्य ठहराया गया रेडफोर्ड का मामला, जहां पीड़ित ने एक आंख की दृष्टि सारभूत रूप से खो दी थी और अपराधी को केवल 5 वर्ष का दंडादेश दिया गया था, अब 1990 और 2000 के मामलों में अधिरोपित किए गए लंबे दंडादेशों से मेल नहीं खाता है ।

नीचे यू. के. के न्यायालयों के निर्णयों से लिए गए कुछ मामले दिए गए हैं :

- रेडफोर्ड (1986) 8क्रिमि. अपी. आर (एस) 60 : 5 वर्ष का कारावास मान्य

ठहराया गया था जब कोई संक्षारक पदार्थ पीड़ित के चेहरे पर धारा से डाला गया था, जिसके कारण एक आंख की दृष्टि में सारभूत रूप से हानि हुई थी । अपीलार्थी ने विचारण पर दोषी होने का अभिवाक् किया था और दावा किया था कि उसका आशय पीड़ित को अंधा करने का नहीं, किंतु अपंग करने का था । तथापि, अपील न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि क्योंकि आक्रमण पूर्व चिंतन के साथ और जानबूझकर किया गया था अतः दोषसिद्धि और दंडादेश बनाए रखे जाएंगे ।

- स्माइल (1992) 13 सीआर एपीपी. आर (एस) : 395 : 14 वर्ष का कारावास, अलग कर दिए गए भागीदार के चेहरे पर नाइट्रिक तेजाब फेंकने के लिए, जिससे गंभीर विद्रूपण और अंधता कारित हुई थी, मान्य ठहराया गया था ।

- बम्फ्रे (1994) 15 क्रिमि. अपी. आर. (एस) 733, वाले मामले में, 13 वर्ष के कारावास का दंडादेश एक निर्दोष जवान व्यक्ति को पूर्ण रूपसे अंधा बनाने के लिए मान्य ठहराया था । दोषी होने का अभिवाक् किया गया था और अपीलार्थी 47 वर्ष का, हृदय की गंभीर स्थिति वाला, व्यक्ति था और यद्यपि पूर्व हिंसा के संकेत थे किंतु उसकी हिंसा के लिए पहले कोई दोषसिद्धि नहीं हुई थी । इन तथ्यों ने दंडादेश की लंबाई को कुछ कम कर दिया ।

- कैरिंगटन (1999) 2 क्रिमि. अपी. और (एस) 206 : 6 वर्ष का कारावास मान्य ठहराया गया था जब सल्फ्यूरिक तेजाब अपराधी की पूर्व महिला मित्र के चेहरे पर फेंका गया था । शीघ्र प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त हो जाने के कारण कोई लंबी अविधि का नुकसान नहीं हुआ था, किंतु आक्रमण पूर्व चिंतन के साथ किए जाने के कारण और कोई घृणा दर्शित न किए जाने के कारण दंडादेश को मान्य ठहराया गया था । न्यायाधीश ने कहा कि यह तथ्य कि पीड़ित को कोई गंभीर स्थायी क्षति नहीं हुई, ऐसा नहीं था कि उसका श्रेय अपीलार्थी को प्राप्त हो । ऐसा केवल दूसरों के द्वारा सहायता दिए जाने के कारण हुआ था ।

- न्यूटन (1999) 1क्रिमि. अपी. आर (एस) 438, वाले मामले में अलग कर दी गई पत्नी पर उसके पति द्वारा पत्नी के कार्यस्थल पर, पूर्व योजना बनाकर तेजाब से आक्रमण किया गया था जिससे पत्नी के शरीर को 10 प्रतिशत जलने के घाव हुए थे और इसके साथ ही इसे और गंभीर बना देने वाली बात यह थी कि उसने पत्नी को उसी समय लूटा भी था । 15 वर्ष की सजा को अपील न्यायालय द्वारा घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया था तथापि, इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि उस मामले में कोई स्थायी निशान नहीं बने थे और षड्यंत्र का कोई तत्व नहीं था, जो दंडादेश की लंबाई को बढ़ाने के लिए होता ।

- जॉन्स (1999) 1 क्रिमि. अपी. आर.(एस) 473, वाले मामले में एक व्यक्ति को कार में 45 मिनट तक रोके रखा गया था और उस पर उसके और आक्रमणकर्ता के बीच धन के संबंध में, जो उनके पारस्परिक व्यवहार पर कपटपूर्ण उद्यम के आगमों के रूप में देय कहा गया था, होने वाले विवाद के पश्चात् तेजाब डाल दिया गया था । चेहरे पर जलने के व्यापक घाव हुए थे और एक आंख की संभवतः हानि हुई थी । 16 वर्ष को उस अपराध के लिए टैरिफ के आधार पर उचित दंडादेश के रूप में मान्य ठहराया गया था यद्यपि, 4 वर्ष के दंडादेश को, जो उस समय चल रहा था, संपूर्णता के सिद्धांत के आधार पर साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया था ।

- कृष्ण राजाराय और अर्ल रॉबिन्सन (2000) 2 क्रिमि. अपी. आर (एस) 120 में : 15 वर्ष के कारावास को दोनों अपराधियों के लिए मान्य ठहराया गया था - एक वह जिसका आशय था और दूसरा वह जिसने वास्तव में तेजाब फेंका था । राय ने अपनी पूर्ववर्ती महिला मित्र को यह धमकी दी थी कि "तुम समझती हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम लंबे समय तक ऐसी नहीं होगी" और महिला मित्र के पिता से उसने कहा था "यदि मैं उसे नहीं पाता हूं तो मैं उसका चेहरा नष्ट कर दूंगा या मैं उसको मार डालूंगा ।" रॉबिन्सन जो महिला मित्र के लिए अनजान था,

एक शाम को सड़क पर दौड़ा और संकेंद्रित नाइट्रिक तेजाब को उसके सिर पर एक लुकोजेड बोतल से डाल दिया । आक्रमण के परिणामस्वरूप महिला मित्र ने अपने सीधे कान को खो दिया, उसके चेहरे, गर्दन, खोपड़ी और छाती पर महत्वपूर्ण निशान पड़ गए । उसे कई शल्य प्रक्रियाओं की और नियमित रूप से मैदानिक मनोवैज्ञानिक से परामर्श की भी आवश्यकता पड़ी ।

प्रथमतः न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकृति के अपराध के लिए शास्ति सामान्य दंडादेश से लंबी होनी चाहिए । उसने यह भी अनुभव किया कि जनता को ऐसे अपराधियों से संरक्षण देने की आवश्यकता है ।

- अंग्रेजी न्यायालय उनके विरुद्ध, जो आक्रमण के पीछे रहे हैं, जिन्होंने अपराध करने के लिए किसी और को किराये पर लिया है, समान रूप से गंभीर रहे हैं । हमफ्रीज (1996) के रिपोर्ट न किए गए मामले में, मि. पीटर हमफ्रीज ने एक अजनबी को अपनी पहली पत्नी के ऊपर तेजाब फेंकने के लिए किराये पर लिया था । कुमारी हैमेट पूर्व पत्नी के लिए बच्चे के देखभाल का कार्य करती थी और वह भ्रमपूर्ण पहचान की दशा में क्षतिग्रस्त हो गई थी क्योंकि आक्रमणकर्ता यह नहीं जानता था कि वह आशयित शिकार नहीं थी । यद्यपि आक्रमणकर्ता को कभी नहीं पकड़ा गया किंतु हमफ्रीज को 12 वर्ष का दंडादेश मिला ।

- नीचे सारणी उन दंडादेशों की किस्म दर्शित करती है जो इन भिन्न देशों के, जहां ऐसे आंकड़े ..... तक उपलब्ध थे, तेजाब से आक्रमण के मामलों में दिए गए हैं ।

6.8 दूसरे देशों में विधियों और दंडादेशों की संक्षिप्त सारणी

देश	**तेजाब का वर्णन करने वाली विनिर्दिष्ट विधि**	**अधिकतम दंडादेश**	**सामान्य दंडादेश**
बंगलादेश	तेजाब संबंधी अपराध दमन अधिनियम	आजीवन/मृत्यु	7 वर्ष - मृत्यु

कंबोडिया	प्रारूप संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है ।	10 वर्ष	9 मास - 10 वर्ष
भारत	कोई विनिर्दिष्ट विधि नहीं है	अज्ञात	अज्ञात
नाइजीरिया	कोई विनिर्दिष्ट विधि नहीं है	अज्ञात	अज्ञात
पाकिस्तान	कोई विनिर्दिष्ट विधि नहीं है	अज्ञात	अज्ञात
युगांडा	दंड संहिता की धारा 216 (छ)	आजीवन	2 वर्ष - 15 वर्ष
यू.के.	व्यक्ति के विरुद्ध अपराध अधिनियम, 1961 की धारा 29	आजीवन	10-15 वर्ष

6.9 घटना दरों की, जहां वार्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं, संक्षिप्त सारणी

देश	जनसंख्या	प्रतिवर्ष आक्रमणों की संख्या	घटना
जमाइका	2.6 मिलियन	56	1:46,428
पाकिस्तान	148.4 मिलियन	1,030	1:44,077
बंगलादेश	138.1 मिलियन	410	1:336,829
युगांडा	25.3 मिलियन	25	1:1,012,000
कंबोडिया	13.4 मिलियन	10	1:1,340,000

स्रोत सारणियों को युगांडा में तेजाब संबंधी हिंसा के विधिक पहलुओं के अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण के साथ आधारभूत सर्वेक्षण से लिया गया है ।

अध्याय - V

पीड़ित के लिए प्रतिकर

दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला मंच के मामले में[70] भारत के उच्चतम न्यायालय ने 6 मास के भीतर बलात्संग पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता पर आख्यापन किया था । उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया था कि इस बोर्ड को, दोषसिद्धि होती है या नहीं, प्रतिकर देना चाहिए । उच्चतम न्यायालय ने इस प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित रूप में न्यायोचित्य का स्पष्टीकरण किया था ।

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 38(1) में अंतर्विष्ट नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड स्थापित किया जाए । बलात्संग पीड़ितों को बहुधा सारवान वित्तीय हानि होती है । उदाहरण के लिए कुछ नियोजन में बने रहने से बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं ।

पीड़ितों के लिए प्रतिकर अपराधी की दोषसिद्धि पर न्यायालय द्वारा और आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड द्वारा, चाहे दोषसिद्धि हो या नहीं, दिया जाना चाहिए । बोर्ड को दर्द, पीड़ा और सदमे को और साथ ही गर्भधारण के कारण उपार्जन की हानि और बच्चे के व्यय को, यदि ऐसा बलात्संग के परिणामस्वरूप होता है तो, ध्यान में रखना होगा ।

वर्तमान स्थिति में तीसरे प्रत्यर्थी को ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों के भयों को दूर करने के बारे में ऐसी स्कीम को विकसित करना होगा ....."

बोधिसत्व गौतम[71] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त विनिश्चय को पुनः दोहराया और आगे अधिकथित किया कि न्यायालय अंतरिम प्रतिकर देने के निष्कर्ष पर पहुंचे थे, जिसके बारे में भी स्कीम में उपबंधित किया जाना चाहिए ।

---

[70] दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला मंच बनाम भारत संघ (1995) 1 एस. सी. सी. 14.

[71] बोधित्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती ए. आई. आर. 1996 एस. सी. सी. 922.

तेजाब से आक्रमण के मामलों की परीक्षा पीड़ितों के लिए प्रतिकर की स्कीम के लिए अत्यावश्यकता पर पुनः जोर देती है । तेजाब से आक्रमण के पीड़ितों को, जैसा पहले कहा गया है, बहुधा बहु शल्य क्रियाएं करनी होती हैं, जिनमें लाखों रुपए व्यय हो जाते हैं । उन्हें पूर्नवास की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें अस्तित्व बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है । वे नियोजन प्राप्त करने के योग्य नहीं भी हो सकते हैं ।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेजाब से आक्रमण के अपराध के बारे में कार्रवाई करने के लिए एक पृथक विधान का सुझाव दिया है और प्रस्तावित विधान के भाग रूप में सुझाव दिया है कि केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय तेजाब आक्रमण से पीड़ित सहायता बोर्ड स्थापित करना चाहिए, जो तेजाब से आक्रमण के पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता और अन्य सेवाओं जैसे मनोवैज्ञानिक परामर्श को सुनिश्चित करने के रुप में सहायता देगा । बोर्ड को तेजाबों के विनियमन और नियंत्रण और अन्य बातों के साथ उनके उत्पादन और विक्रय के लिए रणनीतियों की सरकार को सिफारिश करने का कार्य भी दिया गया है । यह सुझाव दिया गया है कि बोर्ड राष्ट्रीय तेजाब आक्रमण पीड़ित सहायता निधि के नाम से एक निधि को, जिसके लिए दूसरों के अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य सरकार अनुदान दे सकती है, प्रशासित करे । यह उपबंधित किया गया है कि बोर्ड 30 दिन की अवधि के भीतर एक लाख रुपए तक का अंतरिम वित्तीय अनुतोष सीधे अस्पताल को दे सकता है । अन्य मुद्दों से पृथक राष्ट्रीय महिला आयोग के सुझाव की मुख्य समस्या यह है कि यह बोर्ड के कृत्य को केवल तेजाब से आक्रमण वाले मामलों तक निर्बंधित कर रहा है ।

विधि आयोग ने ''अपराध के पीड़ितों के लिए प्रतिकर अधिनियम'' के अधीन प्रतिकर के संदाय के लिए कनाडा के विधान की भी परीक्षा की है । यह अधिनियम अन्य बातों के साथ कतिपय अपराधों के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति या मृत्यु से उद्भूत होने वाले दावों प्रतिकर संबंधी को भी लागू होता है । इस प्रकार यह अधिनियम, अन्य बातों के साथ, लिंग संबंधी हमले, गुरुतर लिंग संबंधी हमले, हत्या, मानव वध, लैंगिक शोषण, हमले, अपहरण आदि जैसे अपराधों के पीड़ितों के लिए प्रतिकर हेतु उपबंध करता है । यह अधिनियम आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड

की स्थापना करता है, जो पीड़ितों को या ऐसे व्यक्ति को, जो पीड़ित के भरणपोषण के लिए उत्तरदायी है या जहां मृत्यु हो गई है वहां पीड़ित के आश्रितों या उनमें से किसी को या उस व्यक्ति को, जो पीड़ित के भरणपोषण के लिए उत्तरदायी था, प्रतिकर दे सकता है । प्रतिकर निम्नलिखित शीर्षों के अधीन दिया जा सकता है :-

(क) पीड़ित की क्षति या मृत्यु के परिणामस्वरूप वास्तव में और युक्तियुक्त रूप से उपगत किए गए या उपगत किए जाने वाले व्यय ।

(ख) पीड़ित की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाली पूर्ण या आंशिक अपंगता के परिणामस्वरूप पीड़ित को उपगत आर्थिक हानि या नुकसान ।

(ग) पीड़ित की मृत्यु के परिणामस्वरूप आश्रितों को उपगत वित्तीय हानिया नुकसान ;

(घ) दर्द और पीड़ा

(ङ) लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप जन्म लेने वाले किसी बच्चे का भरणपोषण ;

(च) पीड़ित की क्षति के परिणामस्वरूप अन्य धनीय हानि या नुकसान और कोई व्यय, जो बोर्ड की राय में उपगत किया जाना युक्तियुक्त है ;

आवेदक को पंचाट से पूर्ववर्ती अंतरिम संदाय भी किए जा सकते हैं । संदाय किए जाने के लिए आदिष्ट कुल प्रतिकर एक घटना के लिए एकमुश्त संदाय में एक लाख डालर से अधिक नहीं हो सकता । प्रतिकर का संदाय समेकित निधि से किया जाना होगा ।

यू. के. आपराधिक क्षति प्रतिकर अधिनियम 1995[72] एक स्कीम को बनाने के लिए सरकार को उत्तरदायी बनाता है और यथा निम्नलिखित कहता है :

---

[72] एचटीटीपी : 11 डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. ओपीएसआइ.डीओवी.यूके/एसीटीएस/एसीटीएस/1995/यूकेपीजीए/9950053-इएन-1# 11जी1.

"(1) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन व्यक्तियों को या उनके संबंध में जिनको एक या अधिक आपराधिक क्षति/क्षतियां हुई हैं, प्रतिकर के संदाय के लिए व्यवस्था करेगा ।

(2) किसी ऐसी व्यवस्था में किसी स्कीम को बनाया जाना सम्मिलित होगा जो विशिष्टतः निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगी :-

(क) वे परिस्थितियां जिनमें पंचाट दिए जा सकते हैं ; और

(ख) उन प्रवर्गों के व्यक्ति, जिनको पंचाट दिए जा सकते हैं,

(3) वह स्कीम आपराधिक क्षति प्रतिकर स्कीम के नाम से जानी जाएगी ।"[73]

यह कथन करता है कि प्रतिकर की एक मानक रकम का अवधारण क्षति की प्रकृति के प्रति निर्देश से किया जाएगा और विशेष व्ययों तथा घातक क्षतियों के संबंध में अतिरिक्त रकमों का उपबंध किया जासकता है । अधिनियम कथन करता है कि सरकार को ऐसी रकम दर्शित करने वाली एक सारणी तैयार करनी चाहिए जिसका भिन्न मामलों में या भिन्न क्षतियों के लिए संदाय किया जाना है । दावे का अधिनिर्णय करने के लिए एक दावा अधिकारी और किसी अपील की सुनवाई के लिए अधिनिर्णायक भी अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

यह बताया गया है कि पीड़ित के लिए वित्तीय प्रतिकर यू.के. में बहुत उदार हो सकता है । यू.के. आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड ने एक पीड़ित के लिए जीबीपी 86,250 पॉण्ड (लगभग 1 लाख 40 हजार अमेरिकी डालर) का उपबंध किया था । साधारण नुकसानी का निर्धारण निम्नलिखित रूप में पढ़ा जा सकता है :

"स्त्री हमले की तारीख को 44 वर्ष की आयु की थी और 50 की तब थी जब उसे तेजाब से आक्रमण में क्षतिग्रस्त किया गया था ।[31] उसके चेहरे, सीधी बांह, दोनों हाथों के डोरसाम पर और बायीं तरफ ऊपर छाती पर 8 प्रतिशत मोटाई के जले के घाव हुए थे और दोनों आंखों को नुकसान हुआ था । उसको हमले के पश्चात् 10 मास, 2 वर्ष 8 मास और

[73] आपराधिक क्षति प्रतिकर अधिनियम, 1955 की धारा 1.

2 वर्ष 11 मास में त्वचा के कई ग्राफ्ट कराने पड़े थे । उसके संपूर्ण चेहरे पर जले के व्यापक निशान पड़ गए थे, बायीं तरफ सिर के ऊपर बाल नहीं रहे थे, दायीं बांह और बायीं बांह के अग्रभाग पर गंभीर निशान पड़ गए थे और दोनों हाथों पर निशान पड़ गए थे । सभी निशान स्थायी थे । उसका बायां कान नष्ट हो गया था । उसका बाएं कान के ड्रम में छेद हो गया था, जिसकी रसायनिक जलन से कास्ति होने की संभावना थी और उसको स्थायी रूपसे सुनाई पड़ना बंद हो गया था, कान के अंदर आवाज आने लगी थी और बाएं कान से लगातार तथा बदबूदार भिन्न प्रकार का डिस्चार्ज हो रहा था । उसको गले में, चेहरे और कान के बायीं तरफ, विशेष रूप से जाड़े में, दर्द का भी अनुभव हुआ था । उसकी आंखों में कष्टप्रद ललाई हो गई थी और स्थायी आधार पर व्यापक रूप से पानी निकल रहा था । दृष्टि में कुछ ह्रास भी हुआ था । उसने सिरदर्द, चक्कर, संतुलन की कमी भी थी । आक्रमण से पूर्व वह एक सुपर बाजार में, जिसे वह अपने पति के साथ चलाती थी, पूर्णकालिक कार्य करती थी और वह बाहर जाने वाली तथा सामाजिक महिला थी । आक्रमण के पश्चात् उसमें एगोराफ्रोबिक प्रवृत्तियां विकसित हो गई थी और उसने ठीक से नींद न आने, चिंता होने, बहुधा स्मृति में पूर्व बातें आने, ऊष्मा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाने संबंधी कष्ट सहे और उसने सामाजिक रूप से स्वयं को अलग कर लिया और अपने संबंधों से दूर चली गई ।

विभिन्न विधानों को देखने के पश्चात् हम अनुभव करते हैं कि तेजाब से आक्रमण, बलात्संग, लैंगिक हमले, अपहरण आदि के पीड़ितों के लिए प्रतिकर के बारे में कार्रवाई करने के लिए पृथक अधिनियम का प्रस्ताव किया जाना चाहिए । हम एक व्यापक विधान का सुझाव दे रहे हैं जिससे कि वह विभिन्न अपराधों के ऐसे पीड़ितों की समस्याओं के बारे में कार्रवाई कर सके, जिन्हें पुर्नवास की और उत्तरजीविता के लिए प्रतिकर की आवश्यकता है ।

अध्याय - VI

निष्कर्ष और सिफारिशें

पूर्ववर्ती अध्याय इस बात पर जोर देते हैं कि तेजाब से आक्रमण भारत में बढ़ती हुई घटनाएं हैं । तथापि, चूंकि भारतीय दंड संहिता में तेजाब से आक्रमणों के बारे में कार्रवाई करने के लिए कोई विशेष धारा नहीं है, अतः इन घटनाओं को पृथक रूप से अभिलिखित भी नहीं किया जाता है । भारतीय दंड संहिता की धारा 326, जो संक्षारक पदार्थ आदि फेंककर गंभीर उपहति कारित करने के बारे में है, इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए अपर्याप्त है और यथोचित नहीं है । प्रथमतः गंभीर उपहति की परिभाषा इतनी विस्तृत नहीं है उसमें विभिन्न प्रकार की क्षतियां, जो तेजाब से आक्रमणों के दौरान की जाती हैं, आ सकें । द्वितीयतः इस धारा के अंतर्गत तेजाब डालने का कार्य भी नहीं आता है । तृतीयतः यह धारा न्यायालयों को, जहां तक दंड का संबंध है, व्यापक विवेकाधिकार देती है । भारत में तेजाब से आक्रमणों के मामले दर्शित करते हैं कि समान्यतया इन मामलों में अपर्याप्त दंड दिया जाता है । चतुर्थतः भारतीय दंड संहिता की यह धारा तेजाब फेंकने के आशयित कार्य को, यदि कोई क्षति नहीं होती है तो दंडित नहीं करती है । अंतिमतः यह धारा यह भी विनिर्दिष्ट नहीं करती है कि जुर्माना किस को दिया जाना चाहिए ।

हम यह भी अनुभव करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर तेजाब फेंका है या डाला है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसने तेजाब फेंका है या डाला है, यह उपधारणा की जानी चाहिए कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है ।

उपर्युक्तः से पृथक हम अनुभव करते हैं कि तेजाब का वितरण और विक्रय, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए छोड़कर, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए । तेजाब को अनुसूचित प्रतिबंधित रसायन बनाया जाना चाहिए, जो काउंटर के ऊपर उपलब्ध नहीं होना चाहिए । तेजाब के क्रेताओं की विशिष्टियां अभिलिखित की जानी चाहिए ।

हमने आपराधिक क्षतियों के लिए प्रतिकर से संबंधित भिन्न देशों की विभिन्न विधियों की भी परीक्षा की है । जबकि यू. के. अधिनियम किसी स्कीम को बनाने के लिए उपबंध करता है, कनाडा का कानून हिंसा के पीड़ितों को प्रतिकर देने के लिए आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड की स्थापना करता है । तेजाब से आक्रमण के पीड़ितों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से एक बोर्ड स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के सुझाव की भी हमने परीक्षा की है । तथापि हम अनुभव करते हैं कि चूंकि केवल तेजाब से आक्रमण के पीड़ितों को ही नहीं किंतु विभिन्न अपराधों के अन्य पीड़ितों, जैसे बलात्संग के पीड़ित, को भी पुनर्वास के लिए प्रतिकर की आवश्यकता होती है । अतः हमारे देश में केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्डों की स्थापना के लिए एक विधि अधिनियमित की जानी चाहिए ।

(1) अतः हम प्रस्ताव करते हैं कि एक नई धारा 326-क भारतीय दंड संहिता में जोड़ी जानी चाहिए । प्रस्तावित धारा 326-क निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाएगी :-

326-क (1) तेजाब से आक्रमण द्वारा उपहति : जो कोई तेजाब फेंककर या तेजाब डालकर किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या भागों को जलाता है या बुरी तरह चोट पहुंचाता है या विद्रूपित या अपंग करता है या गंभीर उपहति कारित करता है, और ऐसा वह क्षति या उपहति कारित करने के आशय से या इस जानकारी से कि उससे वह कारित होने की संभावना है करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं किंतु आजीवन तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

परंतु यह कि इस धारा के अधीन उदग्रहीत कोई जुर्माना उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिस पर तेजाब फैंका गया है या डाला गया है ।

अपराध का वर्गीकरण

न्यूनतम कारावास दस वर्ष का, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना - संज्ञेय - अजमानलीय - सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय - अशमनीय

(ii) **आशय तेजाब फेंकना या डालना** - जो कोई किसी व्यक्ति को जलाने या बुरी तरह चोट पहुंचाने या विद्रूपित या अपंग करने या उस व्यक्ति को गंभीर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है या तेजाब डालता है, वह किसी भांति के कारावास का जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं किंतु जिका दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, चाहे कोई जलन आदि हो या नहीं, दायी होगा ।

अपराध का वर्गीकरण

न्यूनतम कारावास पांच वर्ष का, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना - संज्ञेय - अजमानतीय - सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय - अशमनीय ।

(2) हम ऊपर कथित कारणों से, आगे प्रस्ताव करते हैं कि तेजाब से आक्रमण के मामलों में धारा 114-ख के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक उपधारणा निगमित की जाए । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रस्तावित धारा 140-ख को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा ।

धारा 114-ख तेजाब से आक्रमण के बारे में उपधारणा - यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर तेजाब फेंका है या डाला है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा कोई कार्य ऐसी उपहति या क्षति, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 326-क में वर्णित है, कारित करने के आशय से या इस जानकारी से कि ऐसे किसी कार्य से उसके कारित होने की संभावना है, किया गया है ।

(3) हम प्रस्ताव करते हैं कि "आपराधिक क्षति प्रतिकर अधिनियम" के रुप में ज्ञात एक विधि सरकार द्वारा एक पृथक विधि के रूप में अधिनियमित की जाए । इस विधि में बलात्संग, लैंगिक हमले, तेजाब से आक्रमण आदि जैसे हिंसा के कतिपय कार्यों से पीड़ितों के लिए अंतरिम और अंतिम दोनों प्रकार के धनीय प्रतिकर का उपबंध किया जाना चाहिए और उसमें उनके चिकित्सीय तथा अन्य व्ययों के लिए, जो पुनर्वास, उपार्जन की हानि आदि से संबंधित हों, उपबंध

किया जाना चाहिए । पीड़ित द्वारा पहले से ही प्राप्त किए गए किसी प्रतिकर को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की संगणना करते समय ध्यान में रखा जा सकता है ।

(4) हम आगे सिफारिश करते हैं कि तेजाब के वितरण और विक्रय को कड़ाई से विनियमित किया जाए और दुकान के काउंटरों पर तेजाब के विक्रय पर पाबंदी लगाई जाए ।

ह०

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्)

अध्यक्ष

ह०

(प्रा. (डा.) ताहिर महमूद)

सदस्य

ह०

(डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल)

सदस्य-सचिव